1. कृषि एवं किसान सशक्तिकरण

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, डीजल, खाद, बीज के भाव बढ़ने से लागत बढ़ी है, उस अनुपात में उपज के दाम नहीं मिले हैं। कर्ज बढ़ा है, इन तनावों के चलते आत्महत्याएं बढ़ी हैं, भाजपा सरकार का किसानों की आय को दो गुना करने का सपना खोखला साबित हुआ है। म.प्र. में कांग्रेस सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी वचन देती है कि-

1.1 सभी किसानों का 2.00 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा।

1.2 किसानों को शून्य ब्याज योजना का वास्तविक लाभ देने के लिए भुगतान की नई तिथि रबी फसल हेतु 31 मई तक और खरीफ फसल हेतु 31 दिसम्बर रखेंगे।

1.3 **स्वामीनाथन आयोग** की स्थापना यूपीए सरकार के समय हुई थी उनकी सिफारिशें किसानों के हित में थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं माना है। हमारी कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलायेंगे। मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे फसल नहीं बिकने देंगे , कांग्रेस सरकार किसानों को **- गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कपास, अरहर, मूंग, चना मसूर, उड़द, लहसुन, प्याज, टमाटर तथा गन्ने पर बोनस देगी।**

1.4 **''इन्दिरा किसान ज्योति योजना''** इस नई योजना के अंतर्गत 10 हॉर्सपावर तक के कृषि प्रयोजन के लिए आधी दर पर विद्युत प्रदाय करेंगे। अंत्योदय परिवार को पूर्व की भांति पूरी छूट रहेगी।

- 10 हॉर्सपावर तक के अस्थायी विद्युत कनेक्शन में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा कृषक इसे फसल की थ्रेशिंग हेतु इस्तेमाल कर सकेगा।
- किसानों को 3 फ़ेस की बिजली प्रतिदिन 12 घंटे देना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें कम से कम 8 घण्टे दिन का समय रहेगा।

1.5 नवीन फसल बीमा योजना

कांग्रेस सरकार नवीन फसल बीमा योजना लायेगी, फसल बीमा की इकाई खेत रहेगा, जो किसान स्वेच्छा से इससे पृथक रहना चाहते हैं, उन्हे अनुमति रहेगी। बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों को बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम राशि की रसीद देना सुनिश्चित किया जायेगा।

- नई फसल आने के पूर्व फसल क्लेम का वितरण करायेंगे।
- ग्रामसभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे ।
- फसल बीमा से वंचित किसानों की फसल नुकसानी पर मुआवजा हेतु भू-राजस्व परिपत्र 6-4 में संशोधन करेंगे।
- बिना कर्ज लिये खेती करने वाले कृषक को भी फसल बीमा से जोड़ेंगे।

1.6 कृषकों का जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा किया जायेगा ।

1.7 किसानों को क्रेडिट कार्ड देंगे एवं क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए केन्द्र को लिखेंगे।

1.8 **भूमि अधिग्रहण एक्ट 2014** (UPA सरकार के समय का मूल एक्ट) को अक्षरश: लागू किया जायेगा।

1.9 किसान आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज आपराधिक व राजनैतिक आंदोलनों में दर्ज सभी प्रकरण वापिस लिये जायेंगे।

1.10 मंदसौर गोलीकांड लाठीचार्ज कांड की पुन: न्यायायिक जांच माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे।

1.11 किसान को उपज का भुगतान तीन दिन के भीतर जिस तरह किसान चाहेगा उस तरह करेंगे। आयकर विभाग द्वारा नगद भुगतान की निर्धारित सीमा को इस प्रयोजन हेतु बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे।

1.12 मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा लगवायेंगे।

1.13 मंडी कमेटियों का पुनर्गठन करेंगे, मंडी अधिनियम में संशोधन करेंगे तथा प्रदेश एवं देश की अन्य मंडियों से जोड़ेंगे ।

1.14 मण्डी शुल्कों का युक्तियुक्तकरण करेंगे ।

1.15 मंडियों में ग्रेडिंग प्लांट के लिए किसानों के स्वसहायता समूह/ समितियों को रिक्त भूमि आवंटित की जायेगी।

1.16 सूचना एवं परामर्श केन्द्र खोलेंगे तथा मंडियों में ठहरने एवं रियायती दर पर भोजन की व्यवस्था करेंगे।

1.17 **राज्य कृषि विकास आयोग की स्थापना की जायेगी।**

1.18 सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना

पात्रता- कृषक परिवार के शिक्षित बेरोजगार जो स्नातक हैं और वह स्वयं कृषि विकास एवं विस्तार तथा कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, सहायक कृषि उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, आदि करने के इच्छुक हैं, जिनकी आयु सीमा 25 से 50 वर्ष है और वे ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी हैं तथा अन्य किसी व्यवसाय/नौकरी से उनकी आय नहीं है, वे पात्र होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुविधाएं:-

- रियायती ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए रूपये 1 करोड़ तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराएंगे।
- कृषि प्रयोजन के लिए विद्युत में 25 प्रतिशत की छूट देंगे।
- सिंचाई कर में छूट देंगे।
- उपज के विक्रय की स्वतंत्रता तथा मंडी कर से छूट देंगे।

1.19 गुणवत्तायुक्त और प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध करायेंगे, बीज उत्पादन सहकारी समिति और स्वसहायता समूह को जोड़ेंगे।

1.20 सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे- पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देंगे, रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराएंगे।

1.21 दूध उत्पादक कृषक को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रूपये बोनस देंगे। दुधारू पशुओं का बीमा/ चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क करेंगे।

1.22 खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, सिंचाई आदि में कर/शुल्क की दरों बढ़ोतरी नहीं करेंगे ।

1.23 कृषि यंत्र तथा किसानी के उपयोग की वस्तुओं व पशुआहार पर 0 प्रतिशत जीएसटी हेतु जीएसटी काउंसिल (भारत सरकार) को अनुशंसा भेजेंगे ।

1.24 अमानक खाद, बीज तथा कीटनाशक बेचने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के लिए कानून बनायेंगे । खाद की आपूर्ति समय पर सहकारी समितियों के माध्यम से करायेंगे।

1.25 मिट्टी एवं बीज परीक्षण नि:शुल्क सुविधा प्रदाय करेंगे।

1.26 मेरा खेत मेरा तालाब – ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर को बनाये रखने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण बैंक से उपलब्ध कराएंगे।

1.27 सिंचाई के साधन की अनुदान राशि में बढ़ोतरी करेंगे।

1.28 कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाएंगे, पूंजी उपलब्ध करायेंगे। उद्योग विभाग के अनुदान की पात्र सूची में कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ेंगे।

1.29 फसल की अनुकूलता के आधार पर स्पेशल एग्रीकल्चर ज़ोन स्थापित करेंगे।

1.30 200 से 500 हेक्टर विशेष कृषि प्रक्षेत्र विकसित किये जायेंगे, जिसमें एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, ग्रेडिंग, भण्डारण की सुविधा रहेगी, इन क्षेत्रों को मण्डी कर से मुक्त रखेंगे।

1.31 **कृषि भूमि की रजिस्ट्री में छूट'-** प्रदेश के किसानों को खेती के विस्तार हेतु पटवारी हल्के में कृषि भूमि खरीदने पर स्टाम्प 6 प्रतिशत तथा कृषक महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रहेगा। इसमें शर्त यह रहेगी कि संबंधित व्यक्ति की प्रमुख आय खेती से हो। कृषि भूमि की रजिस्ट्री के आधार पर ही स्वत: नामांतरण एवं सीमांकन की व्यवस्था करेंगे। पारिवारिक बंटवारे के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क 1 प्रतिशत की दर से पंजीकृत करने की व्यवस्था करेंगे।

1.32 **गौशाला**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे एवं चिन्हित क्षेत्रों में गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, इनके संचालन एवं रख रखाव के लिये सरकार अनुदान देगी ।

► गौशाला में गोबर खाद, कण्डा व गौमूत्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करायेंगे ।

► मुख्य मार्गों पर गौवंश के संरक्षण एवं देखभाल के लिए अस्थायी शिविर की व्यवस्था, दुर्घटना में घायल गायों का उपचार एवं मृत गायों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे।

1.33 पशुओं से फसल क्षति पर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को सरलीकरण करेंगे तथा वन/ राजस्व विभाग को जवाबदेह बनायेंगे।

1.34 कृषकों की निजी भूमि पर छोटे-बड़े झाड़ लगे हैं जिनको काटने की अनुमति नहीं मिलती और न ही कृषक कृषि एवं अन्य कार्य कर पाता है, ऐसे जटिल प्रावधानों को शिथिल करेंगे।

1.35 कृषकों की कन्याओं के विवाहों के लिए **''कृषक कन्या विवाह सहायता योजना''** प्रारंभ करेंगे। प्रोत्साहन राशि 51,000 रु. दी जायेगी। इस लाभ के लिए 2.5 एकड़ तक के खाताधारक भी पात्र होंगे।

1.36 आधुनिक कृषि उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग किसान करें, इसके लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रोत्साहन कार्यक्रम चलायेंगे।

1.37 आधुनिक कृषियंत्र जिनकी लागत दो लाख तक है उस पर 50 प्रतिशत अनुदान देंगे।

1.38 बंजर, बीहड़ एवं दुर्गम क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य बनाने एवं एक फसली क्षेत्र को दो फसली, दो फसली क्षेत्र को तीन फसली क्षेत्र बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलायेंगे।

1.39 **जैविक कृषि उत्पाद** - जैविक कृषि उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्र स्थापित करेंगे तथा जैविक उत्पाद की ब्रांडिंग करेंगे।

► जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज देंगे।

1.40 किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी, मसाला, औषधि फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिये पॉलीहाउस एवं ग्रीनहाउस की वर्तमान योजना के साथ-साथ छोटे आकार 1 हजार से 5 हजार वर्गफीट की यूनिट भी बनायेंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से उपलब्ध कराएंगे।

1.41 किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रारंभ करेंगे, इसके अंतर्गत 1000 रु. मासिक पेंशन देंगे, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष के एवं 2.5 एकड़ से कम भूमिधारक तथा अन्य किसी स्रोतों से आय न होने वाले किसान पात्र होंगे।

2. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

2.1 मसाला उत्पादन के लिए छोटे-छोटे प्रोसेसिंग प्लांट लगवायेंगे।

2.2 सब्जियों के उत्तम किस्म के बीज एवं पौध प्रदाय करेंगे । स्वसहायता समूह/ सहकारी समितियों के माध्यम से बीज एवं पौध तैयार करा कर उपलब्ध करायेंगे।

2.3 सब्जियों, फल एवं फूलों को उचित मूल्य दिलाने हेतु मार्केट की व्यवस्था, ग्रेडिंग, पैकिंग, भण्डारण हेतु शीत गृह एवं परिवहन के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण बैंक से उपलब्ध कराएंगे।

2.4 शासकीय नर्सरियों को आधुनिक तरीके से पी.पी.पी मोड पर विकसित करेंगे।

2.5 फलों के अंतर्गत केला, संतरा, अंगूर, अमरूद, आम एवं अनारों की पैदावार बढ़ाने के कार्यक्रम बनायेंगे इनके क्लस्टर और सिट्रस जोन विकसित करेंगे, प्रदेश में TISSUE कल्चर प्रयोगशाला स्थापित करायेंगे।

2.6 संतरा उत्पादक जिलों से नागपुर अथवा निकटस्थ बड़ी मंडियों में संतरा बेचने ले जाने के लिए परिवहन अनुदान देंगे।

2.7 खरबूज, तरबूज, सिंघाड़े एवं कमल की खेती को फसल कार्यक्रम में रखते हुये, उन्नत बीज, बाजार एवं अनुदान देंगे, इन फसलों को राजस्व परिपत्र 6-4 में सम्मिलित कर मुआवजा देंगे।

2.8 चिन्हित फल एवं सब्जियों को फसल बीमा से जोड़ेंगे। शेष फसलों की बीमारी एवं प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर मुआवजा राजस्व परिपत्र 6-4 में जोड़ेंगे।

2.9 फूलों की खेती को बढ़ावा देंगे तथा नये बाजार विकसित करेंगे तथा इनके निर्यात हेतु इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, छिन्दवाड़ा एवं रीवा में निर्यात केंद्र खोलेंगे तथा विशेष अनुदान देंगे।

2.10 आदिवासी अंचलों में फूलों की खेती को प्रोत्साहित करते हुये विशेष अनुदान उपलब्ध करायेंगे।

2.11 प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करेंगे तथा खेतों एवं बगीचे से सीधा जोड़ते हुये फूड प्रोसेसिंग इकाईयां स्थापित करायेंगे।

2.12 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जीएसटी से मुक्त करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजेंगे।

2.13 फल, सब्जी, औषधीय फसल, फूलों की खेती, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुरक्षात्मक प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ बड़े औद्योगिक संस्थानों से जोड़ेंगे तथा नवीन मंडियां स्थापित करेंगे जिसमें कोल्ड स्टोरेज की सुविधा रहेगी।

2.14 **पान उत्पादन- ''पान उत्पादन हेतु नया कार्पोरेशन बनाएंगे, जिसके माध्यम से पान उत्पादन बढ़ाने और पान उत्पादकों को बाजार तथा पूंजी उपलब्ध कराएंगे।**

► **पान अनुसंधान केन्द्र बुंदेलखण्ड, मालवा तथा महाकौशल में स्थापित करेंगे।**

► पान बरेज के नुकसान पर प्रतिपारी राहत राशि 1000/- के मान से देंगे।

2.15 कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उद्यानिकी विभाग पृथक से स्थापित करेंगे तथा आधुनिक उद्यानिकी पद्धति के प्रशिक्षण केन्द्र प्रत्येक जिले में स्थापित करेंगे।

2.16 उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे।

3. जल संसाधन

3.1 सिंचाई क्षमता आगामी पांच वर्षों में 65 लाख हैक्टेयर तक बढ़ायेंगे।

3.2 सिंचाई प्रबंध में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तथा सिंचाई समितियों को सक्षम बनायेंगे।

3.3 नहरों का विस्तार, लाइनिंग करेंगे, जल की क्षति रोकेंगे।

3.4 सिंचाई दरों को पांच साल तक स्थिर रखेंगे। सिंचाई जल देयकों की दरों का युक्तियुक्त बनायेंगे।

3.5 प्रत्येक जिले में नई सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करेंगे।

3.6 सिंचाई हेतु बांधों के अतिरिक्त पानी से तालाबों का भराव करेंगे।

3.7 चंदेल कालीन एवं अन्य प्राचीन तालाबों का गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण करेंगे।

3.8 वर्षों से अधूरी पड़ी प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करायेंगे।

3.9 MICRO MINOR सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में योजना बनाकर मंजूर करायेंगे।

3.10 जल संसाधन विभाग को और गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए कैडर रिव्यू किया जायेगा।

3.11 **जल भूमि के संरक्षण एवं अधिकार- ये कानून भूमि अधिग्रहण/ वन अधिकार जैसा बनायेंगे।**

प्राकृतिक जल स्त्रोत जैसे नदी, तालाब झरने एवं प्राकृतिक नालों की भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है, जल भराव की भूमि संरक्षित नहीं किये जाने पर भविष्य के लिए नागरिकों के लिए जल की आपूर्ति करना असंभव हो जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित जल स्त्रोत तथा शासकीय अनुदान से निर्मित निजी क्षेत्र के जल स्त्रोतों की भूमि को संरक्षित करने के उपाय किये जायेंगे तथा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के समीप वर्षों से निवास करने वाली जल से संबंधित जातियों को उनके जल भूमि के उपयोग के मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनायेंगे।

4. नर्मदा घाटी विकास

4.1 नर्मदा नदी के जल के बँटवारे के अंतर्गत मध्यप्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल का उपयोग पांच साल में पूरा करेंगे।

4.2 नर्मदा नदी के उद्गम स्थान अमरकंटक को संरक्षित करेंगे तथा नर्मदा नदी के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे तथा नर्मदा संरक्षण समिति बनायेंगे तथा उनको अनुदान देंगे।

4.3 नर्मदा के जल को प्रदूषण मुक्त बनायेंगे, केचमेंट एरिया में वन कटाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करेंगे तथा सामुदायिक वास्तविक वृक्षारोपण करेंगे तथा उनकी देखरेख पांच वर्ष तक करेंगे।

4.4 नर्मदा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अपूर्ण परियोजना जैसे इन्दिरा सागर परियोजना की नहर, खरगौन देवहन नहर, सिंचाई प्रणाली बरगी व्यपवर्तन से, ओमकारेश्वर परियोजना, नर्मदा मालवा लिंक परियोजना से अलीराजपुर छिपाने एवं हरसूद आदि अपूर्ण परियोजना को पूर्ण कर सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करेंगे।

4.5 नर्मदा के तटों पर नये घाटों का निर्माण करेंगे तथा पुराने घाटों का संधारण करेंगे।

4.6 नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन करेंगे तथा परिक्रमा पथ निर्माण करेंगे। ग्राम पंचायतों से प्रत्येक 15 किमी. यात्रा पथ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रात्रि विश्राम, प्रसाधन एवं भोजन पकाने की व्यवस्था करायेंगे।

4.7 माँ नर्मदा के नाम से दानदाताओं ने जो भूमि दान दी है, उसके अभिलेखों का संधारण करेंगे तथा वहां नर्मदा परिक्रमा वालों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था करेंगे।

4.8 नर्मदा नदी अविरल बहती रहे, इस हेतु नर्मदा के कैचमेंट क्षेत्र के समीप स्टॉप डेम, तालाब निर्माण का कार्यक्रम बनायेंगे।

4.9 नर्मदा जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन करेंगे, जिसमें किसान और स्थानीय जल उपभोक्ता को जोड़ेंगे।

4.10 सरदार सरोवर परियोजना में हुये भ्रष्टाचार की जांच उच्च स्तर की कमेटी गठित कर कराई जायेगी।

4.11 नगरीय क्षेत्रों तथा औद्योगिक ईकाइयों का प्रदूषित पानी जो कि नर्मदा मे मिलता है, उसे रोकने के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे।

4.12 नर्मदा के विस्थापितों के पुर्नवास के अधूरे कार्य पूर्ण करेंगे तथा उनको नर्मदा परियोजनाओं से निर्मित रोजगारों से जोड़ेंगे। शिकायत निवारण प्राधिकरण एवं हाईकोर्ट के स्वीकृत मुआवजा व पुर्नवास प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

4.13 नर्मदा नदी, बाणसागर, तवा एवं अन्य वृहद् परियोजनाओं के कारण धार्मिक स्थलों एवं आस्था केन्द्र प्रभावित हुये हैं, उनका पुनर्निर्माण/ पुनर्स्थापित करेंगे।

4.14 नर्मदा के विस्थापितों के पुनर्वास, घाटों के निर्माण, धार्मिक स्थलों के निर्माण, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत आदि के लिए 1100 करोड़ का विशेष पैकेज स्वीकृत करेंगे।

4.15 नर्मदा की 41 सहायक नदियों को भी संरक्षित करते हुये उनको प्रदूषण मुक्त बनायेंगे, इन नदियों के आसपास सामुदायिक वृक्षारोपण करेंगे।

4.16 डूब प्रभावित क्षेत्रों में जल भराव से बाधित होने वाले खेतों तक पहुंच मार्गों व पुलियाओं का निर्माण करेंगे।

4.17 डूब क्षेत्र का पुन: सर्वे कराकर छूटे हुये मकानों को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।

4.18 इन्दिरा सागर की नहरों एवं अन्य नहरों के लिए अधिकृत भूमि का लंबित मुआवज़े का भुगतान शीघ्र कराएंगे।

4.19 नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही बरगी दाहिनी तटवर्ती नहर (RBC) के निर्माण कार्य में तेजी लायेंगे। भाजपा सरकार के गलत निर्णय से सलिमनाबाद के पास तीन वर्ष में बन जाने वाली सुरंग में 8 वर्ष से कार्य चालू है, फिर भी अपूर्ण है, इसकी हम जांच करायेंगे, तथा समय सीमा तय कर शेष कार्य पूर्ण करायेंगे।

5. पशु पालन एवं डेयरी विकास

5.1 कांग्रेस सरकार बनने पर पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन,मत्स्य पालन, बकरी पालन आदि योजना का विस्तार करेंगे।

5.2 देशी नस्ल की गाय जैसे निमाड़ी, मालवी, गीर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा आदि गायों का संरक्षण एवं नस्ल सुधार किया जायेगा। इसके लिए विशेष पैकेज देंगे।

5.3 कृत्रिम गर्भाधान को निजी सहभागिता से बढ़ायेंगे ।

5.4 मादा पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए केवल मादा गर्भभ्रूण (सीमन) किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

5.5 पशुओं एवं पशुपालकों का बीमा किया जायेगा तथा उनको कृषकों की भांति क्रेडिट कार्ड दिये जायेंगे।

5.6 परंपरागत पशु बाजारों को विकसित किया जायेगा तथा पशुओं के परिवहन में बाधा न हो उसके लिए नीति बनायी जायेगी।

5.7 परंपरागत दुग्ध उत्पादन जिले एवं नये जिले में डेयरी विकास कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास योजना तैयार की जायेगी।

5.8 सहकारी क्षेत्रों में दुग्ध एवं प्रसंस्करण के प्लांट की क्षमता बढ़ाएँगे एवं नये खरीदी केन्द्र एवं मिल्क रोड खोलेंगे।

5.9 दूध उत्पादक कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों के लिए दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।

5.10 किसानों के स्वसहायता समूह के माध्यम से पशु आहार, मत्स्याहार, कुक्कुट आहार का उत्पादन किया जायेगा और उनको रियायती ब्याज दर पर ऋण 3 वर्ष के लिए दिलवायेंगे एवं जीएसटी से भी छूट के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करेंगे।

5.11 बकरी एवं भेड़पालन, सूअर पालन को प्रोत्साहित किया जावेगा, इन पालकों को रियायती ब्याज दर पर ऋण 3 वर्ष का विशेष अनुदान दिया जावेगा तथा भेड़ों एवं सूअर के बालों की प्रोसेसिंग इकाई को रियायती ब्याज दर पर 5 वर्ष हेतु बैंकों से ऋण दिलवायेंगे।

5.12 पशुधन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की संभावनाओं को तलाशेंगे तथा इस पर आधारित उद्योग हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण 5 वर्ष के लिए दिलवायेंगे ।

5.13 प्रदेश में दो नये शासकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

5.14 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करेंगे, रिक्त पदों की पूर्ति करेंगे तथा पशुओं के बेहतर इलाज के लिए पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालायें प्रत्येक जिला पशु चिकित्सालय में स्थापित करेंगे।

5.15 पशुपालन विभाग में प्रशिक्षित गौसेवकों की सेवायें ली जायेंगी तथा उनको अन्य कर्मियों की तरह मानदेय दिया जायेगा तथा ग्राम प्रशासनिक सेवा में गौसेवक पद रहेगा।

5.16 गौ संरक्षण अधिनियम को लागू किया जायेगा तथा इस अधिनियम में विवादित धाराओं के संशोधन की अनुशंसा की जायेगी।

5.17 गायों को चराने के लिए गौ चर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

6. मत्स्यपालन

6.1 मत्स्यपालन हेतु नयी नीति बनायी जायेगी, मत्स्यपालन को मछुआरों के अधिकार के रूप में मान्य करेंगे।

6.2 मत्स्यपालन का उत्पादन को दो गुना किया जायेगा, अभी लगभग अस्सी हजार मीट्रिक टन है। जिसे बढ़ाकर एक लाख साठ हजार मीट्रिक टन किया जायेगा।

6.3 मत्स्य बीज के उत्पादन 110 करोड़ स्टैण्डर्ड फ्राई करने के लिए कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे तथा इजरायल की आधुनिक तकनीकी से मत्स्य बीज के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.4 बड़े एवं मंझले शहरों में निजी क्षेत्र एवं सहकारी समितियों के सहयोग से बाजार विकसित किये जायेंगे, इस कार्य हेतु भूमि एवं अनुदान दिया जायेगा।

6.5 मत्स्यपालन का अधिकार केवल मछुआरों एवं आदिवासियों के सहकारी समितियों को देंगे।

6.6 प्रदेश के बड़े एवं मध्यम जलाशयों में मत्स्य उत्पादन के लिए आधुनिक पद्धति विकसित की जावेगी तथा मछुआरों को उसके अनुरूप प्रशिक्षण देंगे।

6.7 मछलियों के भण्डारण एवं विपणन हेतु कोल्ड स्टोरेज तथा वातानुकूलित परिवहन की सुविधायें विकसित की जायेंगी, इस हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण बैंक से दिलवाएँगे।

6.8 मध्यप्रदेश शासन की संगठित/असंगठित श्रमिक संवर्ग की योजना **''नया सवेरा कार्यक्रम''** का लाभ सभी मछुआरों को उपलब्ध कराया जायेगा, तथा इनका बीमा एवं मछुआरों के लिए आवास बनवाये जायेंगे ।

6.9 मछुआरा समुदाय के लिये सामुदायिक भवन बनाये जायेंगे।

6.10 निषाद जयंती, केवट जयंती, एवं एकलव्य जयंती पर ऐच्छिक अवकाश दिया जायेगा ।

6.11 इस समुदाय के युवा-युवतियों की कौशलता तैराकी एवं नाव चालन में है, उनको नाव चालन एवं तैराकी में प्रोत्साहित किया जायेगा तथा तैराकी एवं नाव अकादमी की स्थापना की जायेगी।

6.12 नदी किनारे निवास करने वाले मछुआरा परिवारों को नदी एवं जलाशय की जलभूमि पर खरबूज, तरबूज, सब्जी, के लिए उपलब्ध कराया जायेगा ।

6.13 नाव चालन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जायेगी तथा नाव चालन के लायसेंस/ परमिट परंपरागत नाव चालकों को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे ।

6.14 नगरीय निकायों एवं पर्यटन विभाग की नीति के कारण कई परिवार बेरोजगार हुये हैं, कांग्रेस सरकार के आने पर तालाबों के समीप रहने वाले नाविकों को नाव चालन हेतु किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा उनको प्राथमिकता पर अनुमति दी जायेगी ।

6.15 नगरीय निकायों एवं होमगार्ड में गोताखोरों के पदों में मांझी समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

6.16 प्रदेश में मत्स्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा सागर, गांधी सागर, बरगी एवं बाण सागर में स्थापित करेंगे।

7. सहकारिता

7.1 सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया लागू कर राजनीतिकरण से मुक्त करने के लिए स्थानीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव करायेंगे।

7.2 सहकारी संस्थाओं के कर्मियों हेतु पृथक कैडर का गठन कर, उनके नियमितिकरण वेतन में समानता तथा सरकारी कर्मियों की तरह सुविधाओं को बढ़ायेंगे।

7.3 सहकारी संस्थाओं के कर्मियों एवं स्थायी सदस्यों के लिए ''सहकारी पेंशन नियामक प्राधिकरण'' की स्थापना केरल राज्य की तर्ज पर करेंगे।

7.4 अपेक्स बैंक के संचालन की व्यवस्था एवं संचालन व्यावसायिक बैंकों में संचालित आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह करेंगे। जिला स्तर पर शाखायें खोलने एवं जिला सहकारी बैंकों से समन्वय स्थापित कराकर कोर बैंकिंग से जोड़ेंगे एवं ज़िला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी बैंकों के एटीएम स्थापित करेंगे।

7.5 अपेक्स बैंक, सरकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण करेंगे।

7.6 सहकारी बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं ऋण अदायगी व्यवस्था में सुधार करेंगे ताकि किसानों एवं सदस्यों को कठिनाई न हो तथा एक मुश्त समझौता योजना को प्रभावी बनायेंगे।

7.7 सहकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति में सुधार करेंगे एवं सहकारी बैंकों के ग्राहकों के हितों का संरक्षण प्रदान करते हुये वह अपनी जमा राशि जब भी निकालना चाहे, उसके लिए भुगतान की व्यवस्था में सुधार करेंगे।

7.8 गृह निर्माण समितियों की समस्या का हल करते हुये ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे भूखण्ड पर दोबारा पंजीयन शुल्क एवं आवास निर्माण की अनुमति की आवश्यकता न पड़े। सहकारी गृह निर्माण समितियों के सदस्यों के आवासीय भूखंड के नवीनीकरण तुरंत कराएंगे तथा निज होल्ड को फ्री करेंगे तथा इन पट्टों को फ्री होल्ड करने के नियम सरल करेंगे।

7.9 सहकारी क्षेत्र में स्थापित बंद औद्योगिक इकाईयों को पुन: चालू करेंगे, उनका आधुनिकीकरण करेंगे, उनके कार्यरत कर्मियों के हितों का संरक्षण करेंगे।

7.10 किसानों की सहकारी संस्थाओं का गठन, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, ग्रेडिंग प्लाण्ट, पैकिंग प्लांट, परिवहन, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाईयों, कृषि उपकरण का निर्माण, मरम्मत, डीजल पम्प आदि गतिविधियों के संचालन हेतु किया जावेगा।

7.11 प्राथमिक कृषि साख समितियों में बहुउद्देशीय बाजार विकसित करेंगे।

7.12 सहकारी क्षेत्र के दुग्ध एवं प्रसंस्करण प्लांट की क्षमता में वृद्धि करेंगे। नये खरीदी केन्द्र एवं मिल्क रूट निर्मित करेंगे। दुग्ध बिक्री केन्द्र में महिला एवं निशक्तजनों को रु. 3 लाख तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे।

7.13 समितियों के गैर कृषि प्रयोजन के कर्ज़ की समीक्षा कर माफ करेंगे।

8. युवाओं का सशक्तिकरण

8.1 रोजगार और निवेश अनुदान-

प्रदेश में ऐसे नये उद्योग/उद्योगों के विस्तार पर 50 करोड़ रु. से अधिक का निवेश करने एवं उनमें प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने पर उनके वेतन का 25 प्रतिशत अथवा 10 हजार रु. प्रतिमाह जो भी कम होगा ''वेतन अनुदान'' के रूप में 5 वर्ष के लिए देंगे।

8.2 विवेकानंद युवा शक्ति निर्माण मिशन

► विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करेंगे, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के शिक्षित परिवार के युवक/युवती जो स्वयं का उद्यम स्थापित, नए अधिवक्ता जो स्वयं का वकालत पेशा प्रारम्भ करेंगे, प्रदेश के निर्माण, जनजागरण, शासन द्वारा कराये जाने वाले सर्वे जनगणना, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, स्वच्छता टूरिस्ट गाइड आदि के क्षेत्र में नया कार्य प्रारम्भ करेंगे, उनको उस क्षेत्र में स्थापित करने हेतु काँग्रेस सरकार 4000 प्रति माह 5 साल के लिए सहभागिता राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी। यह राशि अन्य कोई रोजगार से लगने /आयकर की सीमा में आने तक जो भी कम हो तक रहेगी।

8.3 राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेंगे

व्यापम बंद कर उसके स्थान पर शासकीय सेवाओं में चयन की पारदर्शी एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू करेंगे-

शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निकायों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए ''राज्य कर्मचारी चयन आयोग'' का गठन करेंगे तथा परीक्षाओं/साक्षात्कार के आयोजन की विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करने वाली पूर्णउत्तरदायित्व एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लागू करेंगे। सभी विभागों में गैर-राजपत्रित तृतीय श्रेणी के पद संभागीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के पद जिला संवर्ग में माने जाएंगे। जिनकी भर्ती जिला स्तर पर की जायेगी। सचिवालय, राज्य स्तरीय कार्यालयों, विभागाध्यक्ष स्तर के पदों को राज्य संवर्ग में रहेंगे।आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं तथा अनारक्षित वर्ग के परीक्षार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम है, उनको शुल्क में छूट देंगे।

► व्यापम एवं MPONLINE घोटाले में प्रदेश के प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं से प्रदेश के युवाओं की भावनाओं एवं भविष्य को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वर्ष 2008 से 2018 तक आयोजित पी.ई.बी., पी.एम.टी, डी. मेट एवं अन्य परीक्षाओं में प्रभावित हुए म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों द्वारा जमा शुल्क वापस कराया जायेगा।

8.4 शासकीय सेवाओं में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता

शासकीय एवं प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारी/कर्मचारी के भर्ती नियम में संशोधन करेंगे, इसके अंतर्गत आवेदक की पात्रता में मध्यप्रदेश से 10 वीं-12 वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उनके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों को सम्मिलित करेंगे ताकि मध्यप्रदेश शासन एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

8.5 शासकीय सेवाओं में चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि की जायेगी ताकि उनको शासकीय सेवा का ज्यादा अवसर मिल सकें।

8.6 **युवा आयोग** का गठन करेंगे।

8.7 **'नई आदर्श युवा नीति''** बनायेंगे, युवा शक्ति को प्रदेश के विकास में प्रमुख भागीदार बनायेंगे।

8.8 चलित घरेलू एवं कृषि यांत्रिकी सेवा प्रारम्भ करेंगे

10वीं उत्तीर्ण युवाओं को "चलित घरेलू यांत्रिकी" तथा "चलित कृषि यांत्रिकी" सेवा से जोड़ेंगे, इनको घरेलू उपयोग के उपकरण/ कृषि उपकरण की मरम्मत का प्रशिक्षण उपलब्ध करायेंगे। प्रशिक्षण में सफलता उपरांत उनको वाहन एवं मरम्मत हेतु औजारों के किट के लिए रियायती ब्याज़ दर पर 3 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराएँगे।

8.9 सुरक्षा गार्ड - 10 वीं पास युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराएँगे।

8.10 स्वरोजगार हेतु विभिन्न कौशल उन्नयन में युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

9. खेल एवं खिलाड़ी

9.1 मध्यप्रदेश में एक समग्र नई खेल नीति बनायेंगे, जिसमें महिलाओं एवं अन्य रूप से सशक्तजनों को भी प्रोत्साहित करेंगे।

9.2 मध्यप्रदेश में **''विक्रम अवार्डी''**, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी रहे हर खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी न मिलने की स्थिति में 15,000 रूपये प्रति माह दिया जायेगा, एवं ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर रूपये 51,000/- प्रति माह दिया जायेगा।

9.3 खेल के प्रोत्साहन हेतु शासकीय सेवाओं में **''स्पोर्ट्स कोटा''** बढ़ायेंगे तथा सार्वजनिक उपक्रमों में भी पद निर्धारित करेंगे।

9.4 जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को खेल का अपर संचालक (नोडल अधिकारी) खेल बनायेंगे।

9.5 भोपाल में शतरंज अकादमी स्थापित करेंगे एवं हॉकी को प्रोत्साहित करेंगे।

9.6 ग्राम, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर खेल मैदान बनायेंगे, तथा खेलों को आधुनिक तकनीक से विकसित करेंगे।

9.7 प्रतिवर्ष 14 नवम्बर से 30 नवम्बर तक **''प्रांतीय ओलम्पिक खेलों का आयोजन''** किया जायेगा। खेल स्पर्धा हेतु 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 19 से अधिक आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके पूर्व जिला एवं संभाग स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जावेगी।

9.8 प्रांतीय ओलम्पिक में पदक विजेताओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा हेतु कोचिंग एवं प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए सभी प्रकार की सहायता देंगे तथा महिला खिलाड़ियों के लिए महिला अधिकारी/कोच को साथ भेजेंगे।

9.9 खेल विभाग को अधिकार एवं आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त करेंगे और खेल अकादमियों को और प्रभावी बनायेंगे।

10. उद्योग

10.1 नई उद्योग नीति बनायेंगे जो प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को अनुकूल बनाने तथा स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों अर्थात रोजगार और निवेश प्रोत्साहन पर आधारित होगी। इस नीति के अंतर्गत-

10.2 विगत वर्षों में सरकार इण्डस्ट्रियल समिट के माध्यम से केवल अपनी छवि बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सम्पादित किये MOU में कोई विशेष निवेश प्रदेश में नहीं आया इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा उपेक्षा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर की हुई । प्रदेश कांग्रेस सरकार में प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगपतियों की भागीदारी से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर प्रदेश के औद्योगिकीकरण का मूल केन्द्र होगा ।

10.3 म.प्र. में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टरों का पुनरूद्धार कर सर्वसुविधा युक्त बनाया जायेगा और नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर पूरे प्रदेश में स्थापित किये जायेंगे।

10.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर में कार्यरत औद्योगिक संगठनों को सरकार का अंग बनाकर वहां की समस्या की पहचान कर निराकरण के लिए एक समिति गठित की जायेगी।

10.5 बड़े उद्योगों की कठिनाइयों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर सीधा संवाद स्थापित होगा। इण्डस्ट्रियल मीट जैसी दिखावटी, खर्चीली एवं परिणाम विहीन व्यवस्था के स्थान पर प्रदेश के सफल उद्योगपतियों को ब्रांड एम्बेसेडर बनाया जायेगा और उनके माध्यम से नये निवेशकों से संवाद स्थापित किया जायेगा।

10.6 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमई सेक्टर को अन्य प्रदेश के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल वित्तीय एवं अधोसंरचना की सुविधायें दी जायेंगी और नीति बनायी जायेगी।

10.7 तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग इनोवेशन फण्ड (उत्पादन नवाचार) की स्थापना।

10.8 शासन की स्टार्ट अप पॉलिसी से कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली है, उद्यमियों के सहयोग से युवा उद्यमियों के अनुकूल नीति का निर्माण करेंगे ताकि उसका दायरा बड़ा किया जा सके तथा क्रियान्वयन प्रभावी हो सके।

10.9 पी.पी.पी. अथवा निजी संस्थाओं द्वारा विकसित इण्डस्ट्रियल पार्क सहित समूचा इंफ्रास्ट्रक्चर एक अथॉरिटी के अधीनस्थ रखने की व्यवस्था करेंगे।

10.10 मध्यप्रदेश के निर्यात लगभग नगण्य हैं, निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय एक्सपोर्ट सेक्टर का निर्माण। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की तर्ज पर विभिन्न इण्डस्ट्रियल एरियाज को जोड़ने वाले अंतर्राज्यीय इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण जिसमें प्रमुख रूप से मेवाड़ मालवा इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर इत्यादि।

10.11 सभी बड़े शहरों में मल्टी लेवल इण्डस्ट्रियल पार्कस को प्रोत्साहन।

10.12 प्रदेश के संतुलित विकास के लिए रीजनल इकोनॉमिक डेव्लपमेंट सेंटर्स की स्थापना करेंगे।

10.13 मध्यप्रदेश ग्लोबल टेक्नॉलोजी इनक्यूबेटर की स्थापना की जावेगी, जो छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों, के लिए डाटा एकत्रित करें, शोध करें तथा विश्लेषण कर अनुशंसाओं का क्रियान्वयन करेंगे।

10.14 इन्दौर, ग्वालियर तथा जबलपुर में ट्रांसपोर्ट हब स्थापित करेंगे।

10.15 औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्डों को लीज होल्ड के स्थान पर फ्री होल्ड करने की कार्यवाही करेंगे।

10.16 प्रदेश में बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर भूमि 99 वर्ष की लीज पर देंगे ।

10.17 शिक्षित बेरोजगार अनु.जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक शेड निर्मित करेंगे।

10.18 उद्योग विभाग द्वारा जिन उद्योगों से मेंटनेंस चार्ज लिया जाता है, उनको नगर निगम के संपत्ति कर से मुक्ति दी जायेगी।

10.19 डायवर्सन की अनुमति का सरलीकरण एवं शुल्क का युक्तियुक्त करेंगे।

10.20 मेड इन मध्यप्रदेश

- नए उद्योग के लिए विशेष पैकेज- ऐसे उद्योग जो 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगे तथा प्रदेश के 60% युवाओं को तकनीकी पद तथा 100 प्रतिशत गैर तकनीकी पदों पर रोजगार देंगे उनको रियायती ब्याज दर पर ऋण दिलवाएंगे तथा जी एस टी में छूट देंगे
- युवा उद्यमी जो पहली बार उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उन्हें रियायती ब्याज दर पर 5 साल का ऋण दिलवाएंगे ।
- बैंगलोर की सिलीकॉन सिटी की तर्ज पर भोपाल में नई सिलीकॉन सिटी विकसित करेंगे।
- ज्वेलरी पार्क- सोना एवं चांदी के आभूषण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन, डायमण्ड इन्डस्ट्रियल पार्क विकसित करेंगे। हीरा उद्योगों हेतु डायमण्ड सिटी की स्थापना करेंगे। गोल्डन कॉम्प्लेक्स, डायमण्ड कॉम्प्लेक्स में औद्योगिक, व्यावसायिक एवं आवासीय सुविधायें, जीएसटी एवं संपत्ति कर में विशेष रियायत, बिजली एवं ब्याज की दरों में छूट देंगे। आभूषण सेक्टर के उद्योगों में महिलाओं एवं अन्य रूप से सशक्तजनों को नि:शुल्क प्रशिक्षण तथा औद्योगिक भूखण्ड के आवंटन में प्राथमिकता देंगे।
- प्रदेश में नये **रेडीमेड गारमेंट** कॉम्पलेक्स स्थापित करेंगे, जिसमें व्यावसायिक एवं आवासीय सुविधाओं के साथ जीएसटी एवं संपत्ति कर में विशेष रियायत, बिजली एवं ब्याज में छूट देंगे।
- पावर लूम को बढ़ावा देने के लिए (10 लूम तक) विशेष क्षेत्र विकसित करेंगे जिसमें औद्योगिक, व्यावसायिक एवं आवासीय, सुविधायें के साथ करों में विशेष रियायत, बिजली एवं ब्याज में छूट देंगे तथा शासकीय खरीदी में प्रोत्साहित किया जायेगा।

10.21 मध्यप्रदेश वित्त निगम की गतिविधियों एवं शाखाओं का विस्तार करेंगे तथा अंशपूंजी में वृद्धि करेंगे।

10.22 सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के छोटे व्यापारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की जायेगी। इनके जीवन बीमा के लिए राज्य शासन भी अंश देगी।

11. कुटीर, रेशम, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी ग्रामोद्योग

11.1 कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण ग्राम स्तर तक देने की योजना बनायेंगे।

11.2 कला कौशलता संरक्षित करते हुये उन्नत तकनीक विकसित कर स्थापित करेंगे ताकि कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकें।

11.3 वंशपरंपरागत परिवारों के कुटीर उद्योग हेतु वनोपज पर आधारित कुटीर उद्योगों हेतु प्रतिवर्ष 500 बांस नि:शुल्क प्रदान करेंगे।

11.4 लाख उत्पादन हेतु शासकीय वनों के उपयोग करने की सुविधा देंगे।

11.5 मिट्टी पर आधारित कुटीर उद्योगों हेतु मिट्टी खनन की बिना रॉयल्टी अनुमति ।

11.6 वुडन क्रॉफ्ट- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गैर इमारती लकड़ी प्रदाय की व्यवस्था ।

11.7 शिल्प कला- पत्थर पर शिल्प कला हेतु पत्थर उत्खनन की सरलीकृत व्यवस्था।

11.8 बुनकरों को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण देकर बुनाई एवं छपाई के कार्य हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करायेंगे एवं शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनायेंगे।

11.9 खादी के उत्पादों पर विक्रय मूल्य में छूट देंगे। शासकीय खरीदी में पुरानी व्यवस्था प्रारंभ करेंगे।

11.10 प्रदेश में मलबरी एवं टसर का उत्पादन दो गुना करेंगे।

11.11 महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देंगे तथा उनको बुनियादी सुविधा देंगे।

11.12 वन क्षेत्र एवं राजस्व भूमि एवं शासकीय पेड़ों पर टसर-कोया, मलबरी कोया, अरण्डी पेड़/ पौधों पर कीट पालन हेतु अनुमति देंगे।

11.13 शहद उत्पादन को बढ़ायेंगे।

11.14 शासकीय संस्थाओं का उन्नयन करेंगे तथा नये क्षेत्रों में रेशम धागा एवं वस्त्र निर्माण की इकाईयां स्थापित करेंगे।

11.15 निजी क्षेत्र, स्वसहायता, सहकारिता के आधार पर गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।

11.16 शिल्पकार परिवारों को परंपरागत कुटीर उद्योगों के संचालन हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण 3 वर्ष हेतु उपलब्ध करायेंगे।

11.17 प्रदेश के रेशम, हस्तशिल्प, हथकरघा के उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे तथा जीएसटी से मुक्त करने हेतु केन्द्र से अनुशंसा करेंगे।

11.18 राज्य स्तरीय व्यापार मेलों का आयोजन करेंगे तथा उत्पादकों को आने-जाने एवं ठहरने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

11.19 प्रदेश के बाहर उत्पादों की बिक्री के लिए भाड़ा अनुदान देंगे।

11.20 भोपाल हाट की तरह जिला मुख्यालय पर जिला आर्टिजन हाट की स्थापना करेंगे।

11.21 शासकीय उपयोग में लगने वाले कुटीर ग्रामोद्योग, रेशम एवं हथकरघा के उत्पादों पर समर्थन मूल्य घोषित करेंगे।

11.22 वंशपरम्परागत उत्पादों में नई विकसित तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण देंगे।

11.23 जिला स्तर पर कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करेंगे।

11.24 हस्तशिल्प, हथकरघा, माटीकला, चित्रकला, और अन्य प्रदेश के इस क्षेत्र के अन्य उत्पादों की कौशलता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष सभी क्षेत्रों में 5 लाख तक का पुरस्कार देंगे।

11.25 कुटीर, लघु, ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प से जुड़े वंशपरम्परागत परिवारों को श्रमिक संवर्ग की तरह सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करेंगे, इसके लिए नया सवेरा कार्यक्रम से जोड़ेंगे ।

12. खनिज

12.1 नई खनिज नीति बनाएंगे। गौण खनिज ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखेंगे।

12.2 खनिज विकास निगम के अंतर्गत आने वाले खनिजों एवं उनके खदान के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनायेंगे।

12.3 रेत खदानों के आवंटन की नई नीति बनायेंगे, रेत नीलामी को खनिज निगम से पृथक करेंगे। रेत की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे।

12.4 रेत खदानों के आवंटन में सहकारिता क्षेत्र एवं वर्षों से निवास कर रहे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे।

12.5 कुम्हारों को ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खनन की अनुमति की प्रक्रिया को सरल करेंगे तथा रॉयल्टी से छूट देंगे।

12.6 खनिज अधिनियम 2015 के तहत प्राप्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत भाग उसी ग्राम के पेयजल, अधोसंरचना, शिक्षित बेरोजगारों को कौशल उन्नयन, शिक्षा स्वास्थ्य एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर व्यय करेंगे।

12.7 अवैध रेत उत्खनन/ रेत के ठेकों में घोटाले की जांच कराएंगे।

12.8 खनिज उत्खनन से निर्मित गड्ढों को भरने एवं वृक्षारोपण का दायित्व लीजधारी का रहेगा, इसे पालन न करने पर लीज समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

13. विद्युत

13.1 ''इन्दिरा गृह ज्योति योजना'' के तहत सभी परिवारों को 100 यूनिट तक 100 रु. प्रति माह बिजली देंगे। विद्युत मीटर सभी के यहां स्थापित किये जायेंगे। गुमठियों में जैसे नाई की दुकान, चाय, नाश्ता, पान आदि छोटे धंधे करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर विद्युत प्रदाय करेंगे।

13.2 घरेलू उपभोक्ता को एवं लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करेंगे।

13.3 विद्युत नियामक आयोग को पुनर्गठित करेंगे जिसमें कृषि, उद्योग, वाणिज्य एवं घरेलू उपभोक्ता जो कानून का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, उनको सदस्य बनायेंगे।

13.4 गलत देयकों के निराकरण के लिए विद्युत देयक केन्द्र स्तर पर फोरम गठित करेंगे, जिसमें विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंधक, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरीय क्षेत्र के पार्षद, कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ता तथा दो महिला सदस्य होंगे, जो कि प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

13.5 कृषि एवं घरेलू प्रयोजन के विद्युत संबंधी झूठे न्यायालयीन प्रकरण वापस लिए जायेंगे।

13.6 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एंड 138 को जमानती बनाएंगे

13.7 100 डायल सेवा की तर्ज पर ट्रांसफार्मर की खराबी विद्युत लाइन में फॉल्ट को सुधारने के लिए नई सेवा प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए तीन अंकों का डायल नम्बर रहेगा और फील्ड में मोबाइल स्टाफ रहेगा जो फोन करने पर विद्युत अवरोध स्थान पर पहुंचकर सुधार कार्य करेगा। इसके लिए एक समय सीमा में सेवा प्रदान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

13.8 विद्युत प्रदाय केन्द्रों पर विद्युत उपभोक्ता सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जो 24 घंटे विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे, इन केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर तथा सामग्री उपलब्ध रहेगी।

13.9 ऐसे वनांचल, दूरदराज के क्षेत्र, मजरे, टोले जहां विद्युत नहीं पहुंची है, वहां 2019 तक विद्युत लाइनों का विस्तार करेंगे तथा हर घर में बिजली पहुंचायेंगे।

13.10 विद्युत कनेक्शन या लाइन से हुई फसल की हानि, जनहानि एवं पशु हानि पर परिपत्र पुस्तक आर.बी.सी. 6/4 से सरकार प्रभावित को राहत देगी।

13.11 विद्युत कम्पनियों के रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही 60 दिन में प्रारंभ करेंगे एवं विद्युत कम्पनियों में आऊटसोर्सिंग से लगे कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए समिति गठित करेंगे।

13.12 नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि की जायेगी इस हेतु ऐसे क्षेत्र जहां बंजर भूमि एवं ऐसी भूमि जिस पर कृषि एवं वृक्षारोपण संभव नहीं है उस भूमि पर ही नवकरणीय ऊर्जा के प्लांट लगाये जायेंगे।

13.13 नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा छोटे-छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार की जायेगी।

14. परिवहन विभाग

14.1 सड़क परिवहन व्यवस्था को नये सिरे से प्रारम्भ करेंगे।

14.2 प्रदेश में सड़क परिवहन व्यवस्था को नये सिरे से सुचारू रूप से संचालित करने हेतु शिक्षित बेरोजगारों की जिला स्तर पर बस सेवा सहकारी समिति बनाकर सड़क परिवहन सुविधा विकसित करेंगे तथा राज्य स्तर पर एपेक्स बॉडी बनायेंगे, समितियों को नए मार्गों के रियायती दर पर परमिट देंगे।

14.3 नगरों में सिटी बसों की सेवा नगरीय निकाय के माध्यम से प्रारंभ की जायेगी।

14.4 प्रदेश में बड़े शहरों में रात्रिकालीन सिटी बस प्रारंभ करेंगे।

14.5 यातायात पुलिस को प्रशिक्षित करेंगे तथा अनियंत्रित यातायात को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करेंगे।

14.6 परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस को संवेदनशील बनायेंगे ।

14.7 यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियंत्रण कानून की जानकारी स्कूल के विद्यार्थियों को दी जायेगी तथा सामुदायिक यातायात नियंत्रण के प्रयास किये जायेंगे।

14.8 सड़क परिवहन के परमिट एवं लायसेंस फीस की दरों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।

14.9 बस चालक, टैक्सी चालक, कन्डेक्टरों का प्रशिक्षण एवं चरित्र सत्यापन उपरांत कमर्शियल लायसेंस दिया जायेगा, इनकी लायसेंस प्रक्रिया को सरलीकृत किया जायेगा।

14.10 महिला टैक्सी सेवा प्रारंभ कराने की दिशा में नीति तैयार करेंगे।इसका संचालन महिलायें करेंगी तथा थर्ड पार्टी बीमा की सुविधा देंगे।

14.11 महाविद्यालयीन कन्याओं को ड्रायविंग लायसेंस महाविद्यालय केम्पस में नि:शुल्क उपलब्ध करायेंगे।

14.12 शासकीय योजना के अंतर्गत प्रदाय किये गये दो पहिया वाहन का पंजीयन **नि:शुल्क करायेंगे।**

14.13 निजी बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा की पूर्ण जवाबदारी बस मालिक की निर्धारित की जायेगी।

14.14 बस स्टैण्ड, मुख्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्गों, राजकीय मार्गों पर CCTV कैमरा स्थापित करेंगे।

14.15 बस स्टैण्डों पर रेल्वे की भांति बसों के आने-जाने की उद्घोषणा की व्यवस्था करेंगे।

14.16 निशक्त जनों के लिए बनाये गये अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत नि:शक्तजनों के आवागमन को बाधारहित बनायेंगे तथा बस स्टैण्ड पर उनके अनुकूल सुविधायें उपलब्ध करायेंगे।

14.17 दृष्टिबाधितों हेतु यातायात के सांकेतिक सिग्नल मार्गों एवं बस स्टॉप पर स्थापित करेंगे।

14.18 सभी व्यावसायिक वाहनों का संचालन करने वाले वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमा करायेंगे।

14.19 बस एवं टैक्सी चालकों को यात्रियों की सुरक्षा, उनके सम्मान, व्यवहार के संबंध में प्रशिक्षित करेंगे ।

14.20 वाहन चालक एवं कन्डक्टर को नया सवेरा कार्यक्रम से जोड़ेंगे।

14.21 विद्युत एवं बैटरी चलित सभी वाहनों को बढ़ावा देंगे, इनको रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन में छूट की नीति बनाएंगे।

15. लोक निर्माण विभाग

सड़क/मार्ग

15.1 प्रदेश के मार्गों की गुणवत्ता और परिवहन की अनुकूलता के आधार पर गुणवत्ता एवं समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने की जवाबदेही व्यवस्था के साथ नये मार्ग निर्मित करायेंगे।

15.2 प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन के लिए केन्द्र उदासीन रहता है, कांग्रेस सरकार का प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन के कार्य में जो बाधायें हैं, उनको दूर करेंगे।

15.3 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन हेतु किसानों की अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा नये प्रावधानों के तहत दिलायेंगे एवं मुआवजे के लंबित प्रकरण तीन माह में निराकृत करायेंगे।

15.4 राजमार्गों के उन्नयन के अपूर्ण कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करेंगे। दो लेन के मार्ग चार लेन में परिवहन भार को देखते हुये बदलेंगे।

15.5 दो या अधिक जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्गों का चयन कर उनका उन्नयन करेंगे।

15.6 जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्गों का उन्नयन करेंगे।

15.7 किसान सड़क निधि से मंडियों तक पहुंचने के नये मार्ग बनायेंगे एवं पुराने मार्गों का उन्नयन करेंगे।

15.8 किसान सड़क निधि से निर्मित मार्गों के आसपास किसानों के लिए किसान विश्राम गृह तथा प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर प्रसाधन सुविधा निर्मित करेंगे।

15.9 ऐसे मार्ग जो बारहमासी किसानों को उपज लाने के लिए अनुकूल नहीं हैं, उन मार्गों को प्राथमिकता से बनवायेंगे।

15.10 मार्गों की नियमित समीक्षा करेंगे उनके रखरखाव के लिए पृथक से निधि की व्यवस्था करेंगे।

15.11 केन्द्रीय सड़क निधि से कई मार्गों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करेंगे।

15.12 नाबार्ड एवं एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर अन्य मार्गों पर व्यय कर देने से कई मार्गों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता से पूरा करेंगे।

15.13 बीओटी के तहत स्वीकृत मार्गों का संधारण अनुबंध के अनुसार करायेंगे। इन मार्गों को सड़क परिवहन के अनुकूल बनाने, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के अनुरूप बनाएंगे।

15.14 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेन्टर चिकित्सा सुविधा एवं यात्रियों हेतु मूलभूत सुविधायें बढ़ायेंगे तथा दुर्घटना क्षेत्र चिन्हित करेंगे तथा वहां एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं यातायात प्रबंध व्यवस्था मजबूत करेंगे।

15.15 जर्जर पुल और पुलिया का पुनर्निर्माण करेंगे।

15.16 प्रदेश में 166 मार्ग पर वृहद/मध्यम पुलों के निर्माण को प्राथमिकता से पूर्ण करायेंगे।

15.17 रेल्वे लाइनों के कारण यातायात बाधित न हो इसलिए ओवरब्रिज, अण्डरब्रिज के निर्माण को प्राथमिकता देंगे।

<u>टोलबूथ</u>

15.18 सभी प्रकार के वाहनों को टोल बूथों पर लंबे इंतजार से बचने के लिए टोल भुगतान की प्री-पेड व्यवस्था लागू करेंगे।

15.19 टोलटैक्स ठेकेदारों से अनुबंध के अनुसार सड़क संधारण का कार्य, यातायात नियंत्रण सड़क दुर्घटना की स्थिति में उपचार की जवाबदारी सौंपी जायेगी।

<u>भवन</u>

15.20 शासकीय भवनों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए '' परियोजना क्रियान्वयन इकाई'' के स्थान पर ''भवन निर्माण एवं रखरखाव'' संचालनालय के रूप में विकसित करेंगे तथा भवन की गुणवत्ता, समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने की जवाबदेही व्यवस्था स्थापित करेंगे।

15.21 अधिकारी, कर्मचारियों एवं कार्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवन जिनका रखरखाव संभव नहीं है, उनको जोड़कर बहु मंजिला भवन बनायेंगे।

15.22 सिविल लाइन में अधोसंरचना की सुविधा विकसित करेंगे।

15.23 विभिन्न विभागों के 1500 से अधिक अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य 3 वर्ष में पूर्ण करायेंगे।

15.24 शासन के सभी तरह के भवन निर्माण का दायित्व ''भवन निर्माण संचालनालय'' का होगा।

15.25 भवन निर्माण संचालनालय में सिविल एवं यांत्रिकी इकाई में समन्वय स्थापित कराने का दायित्व प्रमुख अभियंता/ संचालक का होगा।

15.26 डिपॉज़िट वर्क के रूप में लिये गये कार्यों को पूर्ण करायेंगे तथा यह व्यवस्था बंद करते हुये शासन के सभी विभागों के भवन एव रखरखाव के लिए विभागवार आवंटन लोक निर्माण विभाग (भवन) के बजट में प्रावधान करायेंगे।

15.27 उपयंत्रियों एवं डिप्लोमा इंजीनियर की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही करेंगे।

15.28 कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण और उनकी अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही करेंगे।

15.29 शासकीय सम्पत्ति भूमि भवन की पंजी संधारण का दायित्व लोक निर्माण विभाग को सौंपेंगे।

15.30 टेण्डर की प्रक्रिया पारदर्शी बनायेंगे तथा अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करेंगे एवं ई-टेंडरिंग की व्यवस्था के अच्छे परिणाम नहीं आये हैं, इसे बंद करने पर विचार करेंगे।

15.31 नये ठेकेदारों के पंजीयन की व्यवस्था सरल करेंगे एवं शिक्षित बेरोजगार, इंजीनियरों को प्राथमिकता देंगे, इनको रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण 3 वर्ष के लिए दिलवायेंगे।

15.32 जिला स्तरीय कार्यों में रु. 1 करोड़ तक के 50 प्रतिशत ठेके अनु.जाति/अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को देंगे।

15.33 शिक्षित बेरोजगार इंजीनियर्स की सहकारी समितियां बनायेंगे, उनको शासकीय निर्माण कार्य के ठेकों में प्राथमिकता देंगे।

16. स्कूल शिक्षा

16.1 शालेय शिक्षा की गुणवत्ता उच्च स्तरीय बनायेंगे।

16.2 शिक्षकों की जवाबदेही एवं पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

16.3 शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाने के उपाय करेंगे।

16.4 शिक्षा के अधिकार कानून का सख्ती से पालन करायेंगे।

16.5 शिक्षा के अधिकार कानून का सख्ती से पालन करायेंगे। कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा शाला त्यागी बच्चों, शिक्षा में कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध करेंगे। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी क्षेत्र के स्कूलों में गरीब बच्चों, अनु. जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चों का निर्धारित प्रतिशत प्रवेश दिलवायेंगे।

16.6 शिक्षा की गुणवत्ता बनाने की दिशा में 8 वीं बोर्ड की परीक्षा का प्रावधान पुन: करेंगे।

16.7 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के सभी स्कूल के विषयवार रिक्त पद नये सत्र प्रारंभ होने के पूर्व भरे जायेंगे तथा शिक्षकों की पूर्ति की नई व्यवस्था प्रारंभ करेंगे।

16.8 ई-अटेंडेंस प्रथा समाप्त करेंगे।

16.9 आधुनिक तकनीक पर अध्यापन करायेंगे तथा उसके अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

16.10 शालेय स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्यपुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध करायेंगे।

16.11 भवन विहीन शासकीय स्कूलों के भवन बनायेंगे तथा पुराने भवनों की मरम्मत करायेंगे।

16.12 स्कूलों में बुनियादी सुविधा, फर्नीचर, विद्युत पंखा, पेयजल, शौचालय की समुचित व्यवस्था करेंगे।

16.13 माध्यमिक स्तर से ऊपर के स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध करायेंगे तथा प्रयोगशाला विकसित करेंगे।

16.14 माध्यमिक स्तर के स्कूल की सुविधा 3 किमी. तथा प्राथमिक स्तर के स्कूल 100 परिवार वाले मजरे टोले तक उपलब्ध करायेंगे।

16.15 जिला स्तर पर राजीव गांधी उत्कृष्ट आवासीय स्कूल खोलेंगे।

16.16 शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने के उपाय करेंगे। अनुदान को रोकेंगे एवं फीस की दरों का निर्धारण अभिभावकों के भुगतान करने की क्षमता के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान नियमों में जोड़ेंगे।

16.17 मध्यान्ह भोजन एवं गणवेश स्थानीय स्व-सहायता समूह से उपलब्ध करायेंगे।

16.18 गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन देंगे तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, सूखा प्रभावित एवं कुपोषण से प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छूटिटयों में भी उपलब्ध कराएंगे।

16.19 विद्यालयों में खेल-कूद की सुविधायें उपलब्ध करायेंगे।

16.20 पढ़ाई के साथ-साथ बालिकाओं के लिए संगीत, सिलाई, एवं चित्रकला आदि का प्रशिक्षण देंगे।

16.21 सभी छात्रावासों में अधोसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।

16.22 उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अन्य जिलों में प्रतिवर्ष 7 दिवस के केम्प आयोजित कराये जायेंगे।

16.23 माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिमाह विषयवार टेस्ट लेने की व्यवस्था की जायेगी, जो विद्यार्थी इन टेस्टों में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करते, उनके लिए अतिरिक्त कक्षा लगायेंगे।

16.24 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए 11 वीं की परीक्षा के लिए जिला स्तर पर त्रैमासिक परीक्षा आयोजित करेंगे।

16.25 पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ किया जायेगा तथा उनमें आधुनिक तरीकों से अध्ययन कराने की क्षमता विकसित की जायेगी।

16.26 गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्ग की बालिकाओं को साईकिल वितरित करेंगे।

16.27 प्रत्येक शासकीय स्कूल को राष्ट्रीय कैडेट कोर, रेडक्रास, भारत स्काउट एवं गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना, आदि गतिविधियों से जोड़ेंगे, इन बच्चों को शासकीय सेवाओं तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में चयन में प्रोत्साहन के लिए 5 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

16.28 शिक्षकों, व्याख्याताओं, अध्यापकों, गुरूजी अतिथि शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांगे जैसे पदनाम, वेतन विसंगती, स्थानांतरण, क्रमोन्नति, समयमान वेतन आदि का निराकरण 3 माह के भीतर करेंगे।

16.29 भाजपा सरकार ने लोक लुभावन जैसी घोषणा की है तथा कैबिनेट से निर्णय कराये हैं उन निर्णयों की पुन: समीक्षा कर शिक्षकों की मांग के अनुसार निर्णय लेंगे।

16.30 म.प्र. निजी विद्यालय फीस संशोधन अधिनियम स्कूल प्रबंधन एवं पालकों के हितों के अनुरूप संशोधित किया जायेगा और इसे सख्ती से पालन कराएंगे।

16.31 स्कूलों को शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की योजना समीक्षा कर व्यावहारिक बनायेंगे।

16.32 स्कलों के नेतृत्व विकास एवं कौशल उन्नयन के शिविर आयोजित किये जायेंगे।

16.33 छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ायेंगे। इसे मूल्य सूचकांक से जोड़ेंगे।

16.34 समग्र शिक्षा पोर्टल को विद्यार्थी एवं पालकों की पहुंच तक सुगम बनाया जायेगा।

16.35 म.प्र. बोर्ड द्वारा आयोजित 10 वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक जिले की मेरिट के प्रथम 10-10 छात्र एवं छात्राओं को लेपटॉप दिये जायेंगे।

16.36 म.प्र. बोर्ड की 12 वीं की परीक्षा में प्रत्येक जिले के प्रथम 10-10 छात्र-छात्राओं (विषय वर्ग वार) ''दो पहिया वाहन'' देंगे।

16.37 केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आयोजित 12 वीं की परीक्षा के प्रत्येक जिले के प्रत्येक विषय के 2-2 छात्र-छात्राओं को भी ''दो पहिया वाहन'' देंगे।

16.38 मेधावी (85 प्रतिशत से अधिक) छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा हेतु 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देंगे।

16.39 मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा शुल्क को कम कर 500 रूपये करेंगे।

16.40 प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक शासकीय शिक्षण संस्था हो इस हेतु पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक वाली व्यवस्था पुन: कायम की जाएगी।

16.41 शैक्षणिक संस्थाओं में लगने वाली निजी बसों एवं अन्य वाहनों का पंजीयन जिला प्रशासन में कराना अनिवार्य होगा तथा इन बसों में बच्चों की सुरक्षा की पूर्ण जवाबदारी बस संचालक एवं स्कूल प्रबंधन की होगी।

16.42 शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे एवं हेल्पलाइन हेतु टेलीफोन लगवाये जायेंगे तथा साइन बोर्ड पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन एवं अन्य हेल्पलाइन के फोन नम्बर लिखे जाएंगे।

17. उच्च शिक्षा

17.1 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर गौर करेंगे।

17.2 कांग्रेस शासन गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करायेगी।

देवी अहिल्याबाई होल्कर नि शुल्क शिक्षा योजना-

- कन्या शिक्षा प्रोत्साहन के अंतर्गत शासकीय स्कूल से लेकर शासकीय महाविद्यालय कॉलेज तक नि:शुल्क शिक्षा देंगे
- महाविद्यालय जाने के लिए कन्याओं को रियायती ब्याज दर पर दो पहिये वाहन हेतु ऋण उपलब्ध कराएँगे तथा आरटीओ से वाहन का नि:शुल्क पंजीयन कराएँगे

17.3 ऐसे विषय-विशेषज्ञ जिनकी आवश्यकता है लेकिन पद स्वीकृत नहीं हैं, उनके नये पद सृजित किये जायेंगे तथा अध्यापक/व्याख्याताओं को शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्त नहीं करेंगे।

17.4 महाविद्यालयों में जनभागीदारी की समितियों के राजनीतिकरण को रोकते हुये शिक्षाविदों, समाजसेवियों की सहभागिता से उन्हें सशक्त बनायेंगे।

17.5 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में राजनैतिक संगठनों का हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे शिक्षकों का सम्मान आहत हुआ है तथा भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को वोटबैंक बनाने की कोशिश की है, ऐसी सभी गतिविधियों को समाप्त किया जायेगा तथा शिक्षकों को पुन: सम्मान प्रदान किया जायेगा ।

17.6 राज्य के विश्वविद्यालयों में भाजपा के समय भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है अनेक कुलपति भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गये हैं, कांग्रेस सरकार इसकी जाँच करायेगी और विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता सुनिश्चित की जायेगी।

17.7 प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में अखिल भारतीय सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जायेगी ताकि प्रदेश के छात्र-छात्रायें ऐसी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

17.8 शैक्षणिक संस्थाओं में चुनाव के नाम पर हुई अराजकता को समाप्त किया जायेगा तथा लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के मुताबिक ऐसे चुनाव कराये जायेंगे, जिससे प्रगतिशील छात्रप्रतिनिधि तैयार हो सके।

17.9 शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जायेगी तथा ऐसी व्यवस्था ई-अटेंडेंस को समाप्त किया जायेगा, जिससे शिक्षक एवं छात्र अपमान महसूस करते हों।

17.10 राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अधोसंरचना की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा।

17.11 महाविद्यालयों में प्रयोगशालायें एवं ई-लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी, डिजिटलीकरण की स्थापना की जायेगी तथा वाई-फाई एवं नेटवर्क की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करायेंगे।

17.12 निजी सहभागिता से महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को छात्रावास तथा महाविद्यालय के समीप आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

17.13 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के स्तर पर मैरिट में आये छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जायेगा।

17.14 उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हेतु बैंकों से ऋण लेने वाले विद्यार्थियों

को रियायती ब्याज दर पर ऋण दिलाएँगे, आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार गारंटी देगी।।

17.15 महाविद्यालय में एन.सी.सी.,एन.एस.एस. को बढ़ावा दिया जायेगा तथा खेलकूद, शारीरिक व्यायाम आदि की व्यवस्था की जायेगी।

17.16 शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में केम्पस चयन कराया जायेगा।

17.17 कन्या महाविद्यालयों एवं छात्रावासों में कन्याओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी तथा पुलिस चौकी भी स्थापित करेंगे।

17.18 सभी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क कराया जायेगा एवं बीमा भी कराया जायेगा।

17.19 सभी जिलों में उत्कृष्ट महाविद्यालय में विशेष कोचिंग एवं नेतृत्व विकास की व्यवस्था करेंगे।

17.20 निजी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों का बीमा एवं भविष्य निधि में शासन द्वारा अंश दिया जायेगा।

17.21 निजी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों को अशासकीय संस्थाओं की अनुदान योजना के अंतर्गत उनके वेतनमान में सुधार करेंगे, उनको वेतन में 2 हजार से 10 हजार रूपये तक की वृद्धि का प्रयास करेंगे।

17.22 अतिथि विद्वानों को रोस्टर के अनुसार नियमित करने की नीति बनाएंगे। पीएससी में चयन न होने की स्थिति में उनको निकाला नहीं जायेगा। भविष्य के लिए अतिथि शिक्षकों का पैनल महाविद्यालय में अध्ययन किये विद्यार्थियों में से बनाया जायेगा।

17.23 आदिवासी अंचलों में स्थापित सभी महाविद्यालयों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कला के साथ-साथ वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय भी प्रारंभ की जाय।

17.24 सभी वर्गों की महाविद्यालयीन कन्याओं के लिए नये छात्रावास खोलेंगे और उनको शासकीय महाविद्यालयों से जोड़ेंगे।

17.25 विज्ञान महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करेंगे।

18. तकनीकी शिक्षा

18.1 उच्चशिक्षा अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं को अधिक स्वायत्ता दी जायेगी एवं रिक्त पद शीघ्र भरे जायेंगे।

18.2 पिछली सरकार ने तकनीकी शिक्षा का व्यवसायीकरण कर बेतहाशा विस्तार किया है, इसके चलते निर्धारित मापदण्डों को अनदेखा किया है, मांग एवं पूर्ति में संतुलन नहीं बनाया है, इससे तकनीकी छात्रों का शोषण हुआ है, हमारी सरकार शिक्षाविदों के उच्च मापदण्डों का पालन करते हुये मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत को लागू करेगी ताकि शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद विद्यार्थी रोजगार से लग जाये।

18.3 तकनीकी शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाया जायेगा तकनीकी शिक्षा पूर्ण करने पर छात्र तत्काल रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।

18.4 प्रत्येक तकनीकी संस्थानों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे। प्रशिक्षित नये युवा उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए बैंक से ऋण दिलाएँगे।

18.5 आर्थिक आधार पर कमजोर मेधावी छात्रों को पूर्ण रूप से मुफ्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करायी जायेगी।

18.6 गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, विक्रमादित्य और मेधावी योजना की समीक्षा की जायेगी तथा इन योजनाओं का परिणाम मूलक बनाया जायेगा।

18.7 तकनीकी महाविद्यालयों में ई-लाईब्रेरी, वाई-फाई तथा डिजिटल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

18.8 अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न उद्योगों में और तकनीकी संस्थाओं में शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

18.9 मेधावी तकनीकी छात्र-छात्राओं को जिन्होंने 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं, छात्रवृत्ति देंगे।

18.10 प्रदेश में स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेजों में आवासीय सुविधा देंगे तथा आवश्यकतानुसार नये पॉलीटेक्निक कॉलेज रोजगार मूलक नये ट्रेडों के साथ खोलेंगे।

19. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

19.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करायेंगे।

19.2 सभी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच की व्यवस्था करेंगे, नये एवं आधुनिक उपकरणों से चिकित्सालय सुसज्जित करेंगे। डॉक्टर, नर्स एवं तकनीशियन स्टाफ की पूर्ति एक साल के भीतर करेंगे।

19.3 जिला चिकित्सालय स्तर पर नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स प्रारंभ करेंगे।

19.4 चिकित्सकों एवं चिकित्सा तकनीकी विशेषज्ञों के लिए पृथक से नया वेतन आयोग गठित करेंगे, उनको नई सुविधायें, सुरक्षा और नया वेतनमान देंगे। वेतन आयोग तीन माह में प्रतिवेदन देगा और उसे शीघ्र ही लागू करेंगे।

19.5 कांग्रेस सरकार मेडिकल कमीशन की स्थापना करेगी।

19.6 म.प्र. मेडिकल काउंसिल एक्ट की समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे।

19.7 प्रत्येक जिला स्तरीय चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय क्षमता का विस्तार करेंगे, खाली स्थान नहीं होने पर बहु मंजिला वार्ड बनायेंगे एवं उपचार की नई विधि एवं नये उपकरण की उपलब्धता करायेंगे।

19.8 सभी विकासखण्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेंगे, वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य उनका विस्तार करेंगे।

19.9 दूर-दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था लागू करेंगे तथा इनको चिकित्सा महाविद्यालयों से सीधा जोड़ेंगे।

19.10 सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायेंगे तथा महानगरों के वार्डों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे।

19.11 ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य स्तर पर पृथक से एक अथॉरिटी का गठन करेंगे, जिसमें जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवायें लेंगे तथा पंचायत हेल्थ नेटवर्क की स्थापना की नीति बनायेंगे।

19.12 संस्थागत प्रसव सुविधा 10 किमी. के दायरे में लायेंगे तथा इन में नवजात शिशु के उपचार की आवश्यक सुविधायें मुहैया करायेंगे।

19.13 रोगी कल्याण समितियों का राजनीतिकरण कर दिया गया है। इन्हें पुन: प्रभावी बनायेंगे।

19.14 राष्ट्रीय मार्ग/राजकीय मार्गों पर 30 किमी. की परिधि में ट्रामा सेन्टर्स खोले जायेंगे ।

19.15 सरदार पटेल नि:शुल्क दवा वितरण व्यवस्था पूरी तरह से असफल रही है। इस योजना पर पुनर्विचार कर प्रभावी ढ़ंग से लागू करेंगे।

19.16 कुपोषण, मातृमृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु हर संभव प्रयास किये जायेंगे, गर्भवती माताओं में खून की कमी को दूर करने के उपाय किये जायेंगे।

19.17 ANC कवरेज 70-80 प्रतिशत के ऊपर लाने के प्रयास करेंगे।

19.18 रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, विटामिन, ओ.आर.एस. घोल की पूर्ति सनिश्चित करेंगे।

19.19 दवा दुकानों के लायसेंस नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया है तथा व्यापक भ्रष्टाचार से भरी है। इस व्यवस्था का सरलीकरण करेंगे।

19.20 **''क्षयरोग''** पर पूर्ण नियंत्रण करेंगे।

19.21 HIV से प्रभावितों की पहचान कर उनका नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित करते हुये समाज की मुख्य धारा में लायेंगे।

19.22 उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पथरी के रोगियों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के उपाय किये जायेंगे एवं त्वरित स्वास्थ्य परीक्षण जांच एवं उपचार की व्यवस्था की जावेगी।

19.23 गंभीर बीमारी जैसे मुख, स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर के निदान हेतु निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवायें लेंगे।

19.24 जिला स्तर पर कैंसर रोगियों के उपचार की व्यवस्था करेंगे एवं किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा सभी जिला चिकित्सालय में चरणबद्ध उपलब्ध करायेंगे।

19.25 गंभीर कुपोषित बच्चे एवं एनीमिया से प्रभावित बच्चों की पहचान कर कुपोषण कम करने एवं एनीमिया से दूर करने की हर संभव कोशिश की जायेगी।

19.26 सार्वजनिक क्षेत्रों बसाहटों में जलजनित रोगों को रोकने के लिए जनजाग्रति तथा जल एवं स्वच्छता बनाये रखने के प्रबंध किये जायेंगे।

19.27 सभी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

19.28 प्रत्येक जिला चिकित्सालय में चिकित्सा प्रबंधक का पद निर्मित करेंगे।

19.29 दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधा विकसित करेंगे।

19.30 आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सक एवं टेक्नीशियन को विशेष भत्ता 50 से 75 प्रतिशत तक देंगे। तथा अन्य ग्रामीण अंचलों में 25 से 50 प्रतिशत देय होगा।

19.31 चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए वैकल्पिक तौर पर आयुष के चिकित्सकों की सेवायें लेंगे।

19.32 प्रदेश में आदर्श परिवार कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।

19.33 बाल श्रवण योजना को निशक्त जन कल्याण विभाग के माध्यम से चलायेंगे एवं योजना का विस्तार करेंगे।

19.34 बाल ह्दय योजना का लाभ ग्रामीण अंचलों के बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रबंध करेंगे।

19.35 जिला चिकित्सालयों में मरीज के परिजनों को रात्रि विश्राम के लिए रैनबसेरा स्थापित करेंगे, जिनमें भोजन, पेयजल एवं प्रसाधन सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

19.36 दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को लाने के लिए योजना तैयार करेंगे।

19.37 चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान करेंगे।

19.38 प्रदेश में चार नये मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जिसमें से दो एकलव्य मेडिकल कॉलेज आदिवासी बाहुल्य जिले में स्थापित होंगे।

19.39 शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्वायत्तता को और अधिक सशक्त बनायेंगे।

19.40 चिकित्सा महाविद्यालय के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 60 दिन में कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।

19.41 जूनियर डॉक्टरों की आये दिन हड़ताल होती रहती हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेंगे।

19.42 AIIMS में गैस पीड़ितों के लिए पृथक विभाग खोलने के लिए अनुशंसा करेंगे।

19.43 गैस राहत अस्पतालों को लोकस्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला चिकित्सालय/सामुदायिक चिकित्सालय स्तर का दर्जा देने के लिए उनका उन्नयन करेंगे।

19.44 गैस पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की समीक्षा करेंगे।

19.45 हेल्थ स्मार्ट कार्ड – मरीजों को उपलब्ध कराएंगे, इस कार्ड से उपचार की सुविधा प्राप्त होगी तथा कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी बीमारी एवं जांच का विवरण रहेगा।

19.46 बी.डी.एस. डाक्टरों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ किया जायेगा।

19.47 निजी क्षेत्र की पैथोलॉजी लैब में सामान्य जांचों के प्रमाणीकरण के लिए तकनीशियनों को सत्यापित करने के अधिकार देने हेतु नियमों में संशोधन करेंगे।

19.48 प्रदेश के मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से डिग्री / डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य विभाग नौकरियों हेतु पात्रता सुनिश्चित करेंगे।

20. आयुष

20.1 संभागों में जहां आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय नहीं हैं वहां पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।

20.2 होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को विकसित करेंगे।

20.3 एलौपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद, होम्योपैथी की सुविधाओं हेतु विशेष प्रकोष्ठ गठित करेंगे।

20.4 रिक्त पदों की पूर्ति एक वर्ष में करेंगे।

21. पेयजल/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

21.1 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों तथा आदिवासी अंचलों में शुद्ध पेयजल की नियमित प्रदाय की व्यवस्था करेंगे एवं उनके रखरखाव की स्थायी व्यवस्था करेंगे।

21.2 ''जल निगम'' को सक्षम बनाते हुये उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, सभी ग्रामीण क्षेत्रों की बसाहटों में नल-जल योजना एवं हैण्डपम्प का संचालन करायेंगे तथा रखरखाव का दायित्व देंगे।

21.3 नई नल-जल योजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने के लिए विभाग जवाबदारी सुनिश्चित करेंगे।

21.4 नर्मदा एवं अन्य बारह माह प्रवाह वाली नदियों के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली बसाहटों के लिए समूह ''नल जल योजना'' तैयार करेंगे।

21.5 सभी शालाओं, आंगनवाड़ी एवं चिकित्सालयों में जल की नियमित आपूर्ति करेंगे।

21.6 शासकीय एवं निजी क्षेत्र के हैण्डपम्प उत्खनन की अनुमति रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के निर्मित होने के बाद देने की नीति बनायेंगे।

21.7 जल स्त्रोतों के समीप रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग योजना एवं जल भराव हेतु कैचमेंट क्षेत्रों के विस्तार की योजना बनायेंगे।

21.8 ठेकेदारी व्यवस्था को पारदर्शी बनायेंगे।

21.9 अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करेंगे तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा की जवाबदेही निर्धारित करेंगे।

21.10 सभी नगरीय निकायों में मल-जल निकासी की योजना तैयार करेंगे।

22. सामाजिक न्याय एवं वरिष्ठ नागरिक सेवायें

22.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन-

- **एक व्यक्ति एक पेंशन:-** सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, कलाकारों, साहित्यकार, शिल्पियों एवं सभी संगठित/असंगठित श्रमिक संवर्ग जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, को प्रतिमाह रु. 1000 पेंशन देंगे।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, निशक्त जन, विधवाओं को पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर रु.1000 करेंगे। परित्यक्तताओं तथा 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं एवं कन्या अभिभावकों को भी रु.100 पेंशन देंगे।
- मंदबुद्धि, बहुविकलांग, गंभीर बीमारी के कारण शारीरिक क्षमता खो चुके मरीजों, एचआईवी पॉजीटिव, कुष्ठरोगियों को रु.2000 प्रतिमाह पेंशन देंगे।

22.2 कन्या विवाह सहायता

- ''कन्या विवाह'' योजना के लिए सहायता राशि 30,000/- से बढ़ाकर 51,000 की जावेगी।
- आदिवासी अंचलों में प्रचलित विवाह प्रथा को कन्या विवाह सहायता की पात्रता होगी।
- सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आय सीमा का बंधन नहीं रहेगा।
- सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में नकली सामग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं आयोजक संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।
- प्रत्येक वर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम का कैलेण्डर घोषित किया जायेगा ताकि अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके।

22.3 मूकबधिर, दृष्टिबाधित एवं मंदबुद्धि की निशक्त कन्या से सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रूपये एक लाख की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

22.4 म.प्र. निराश्रित अधिनियम एवं सहायता योजना को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जावेगा ।

22.5 वरिष्ठ नागरिक

- वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा, चलने-फिरने में असमर्थ वृद्धों को व्हील चेयर, लाठी, चश्मा प्रदान किये जावेंगे।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया जायेगा।
- अनुभाग स्तर पर अभिकरणों को सक्रिय किया जायेगा तथा जिला एवं संभाग स्तर पर अपील के प्रावधान जोड़े जायेंगे।
- माता-पिता के भरण-पोषण अधिनियम की नियमित समीक्षा की जावेगी तथा अति. डी.जी. रैंक के पुलिस अधिकारी को अधिनियम पुलिस हेतु निर्धारित धाराओं के पालन कराने के लिए जवाबदारी सौंपी जावेगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहर के वार्ड में डे-केयर सेन्टर चरणबद्ध खोलेंगे।

- ► प्राधिकरण द्वारा अभिभावकों के भरण-पोषण के पारित आदेश पर 10 प्रतिशत राशि अधिकतम 1000/- राज्य सरकार देगी।
- ► गरीबी रेखा के ऊपर के वृद्धों तथा पेंशनरों के लिए **सशुल्क वरिष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र** प्रारंभ करेंगे, जिसके भवन निर्माण और संचालन में राज्य सरकार सहयोग प्रदान करेगी।

वयोवृद्धों का सम्मान

- ► 100 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले वरिष्ठ जनों को राज्य सरकार द्वारा शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया जायेगा तथा उनको 1 लाख की सम्मान निधि देंगे।

22.6 खेतीहर मजदूर एवं गरीबों का कल्याण हेतु ''नया सवेरा '' कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता देंगे।

22.7 नशामुक्ति कार्यक्रम

- ► नशामुक्ति पुनर्वास केन्द्र प्रत्येक जिला अस्पताल में स्थापित किये जायेंगे।
- ► नशामुक्ति जनजागरण हेतु महिलाओं की ग्राम पंचायत स्तरीय भजन मंडलियों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की सहायता तथा भजन-कीर्तन की सामग्री देंगे।

22.8 कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

- ► गांधी जी द्वारा बताये गये रास्ते पर चलते हुये कुष्ठरोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे।
- ► कुष्ठरोग से पीड़ित परिवार को भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता देंगे। इनकी बस्तियों एवं आश्रमों के विकास के लिए आर्थिक सहायता देंगे।
- ► कुष्ठ रोग से पीड़ित शिक्षित युवक-युवतियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण देंगे।

22.9 समग्र सामाजिक सुरक्षा परिवार कार्यक्रम

- ► प्रदेश के प्रत्येक परिवार की सत्यापित जानकारी समग्र सामाजिक सुरक्षा परिवार पोर्टल पर रखेंगे। शासन की सामाजिक सुरक्षा योजना में पात्रता आने पर उनको सूचित करेंगे तथा सहायता त्वरित उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उनको किसी कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
- ► समग्र सामाजिक सुरक्षा परिवार कार्यक्रम को वैधानिक मान्यता हेतु ''**राजीव गांधी स्वनिराकरण सेवा**'' नाम से अधिनियम बनायेंगे।

22.10 **ट्रांसजेंडर का पुनर्वास**

- ► सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास हेतु नई नीति बनायेंगे।
- ► ट्रांसजेंडर पुनर्वास बोर्ड की स्थापना करेंगे।

22.11 सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार

- ► सामाजिक क्षेत्र में निशक्त, निर्धनों के लिए किये जा रहे कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा, इसके अंतर्गत 10 लाख रूपये तक की राशि प्रदान की जायेगी।
- ► नशामुक्ति और दिव्यांगता के क्षेत्र में संस्थागत पुरस्कार राशि 5 लाख तक दिये जायेंगे।

- निशक्तता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक दिसंबर को पुरस्कृत करेंगे। मंदबुद्धि, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित एवं श्रवणबाधित प्रतिभाशालियों को सम्मानित करेंगे।
- नि:शक्तता के क्षेत्र में संस्थागत पुरस्कार रूपये 5 लाख तथा एकल पुरस्कार सभी श्रेणी के नि:शक्त जनों हेतु रूपये 1 लाख का नया पुरस्कार निशक्त सेवा प्रति वर्ष देंगे।
- कुष्ठ कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा सम्मान रु. 5 लाख से सम्मानित किया जायेगा।

23. शारीरिक/ मानसिक चुनौतियों का सामना करते जन के अधिकार

23.1 अन्य रूप से सशक्त जनों के लिए प्रदेश में पृथक से विभागाध्यक्ष का कार्यालय स्थापित किया जायेगा ताकि उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा सके।

23.2 लोक प्रतिनिधित्व कानून में अन्य रूप से सशक्त श्रेणी के जन प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कराने की अनुशंसा करेंगे।

23.3 शासकीय क्षेत्र में रोजगार-6 प्रतिशत नि:शक्तजनों हेतु पदों को चिन्हित कर रिक्त पदों को एक वर्ष के भीतर भरेंगे।

23.4 रोजगार हेतु रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा।

23.5 स्वरोजगार के नये अवसर निर्मित करेंगे तथा उनको कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देंगे।

23.6 व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जैसे संगीत एवं कला के क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करेगी।

23.7 शासकीय सेवाओं में निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड में छूट देकर रिक्त पद भरे जावेंगे।

23.8 शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रमों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा शुल्क में छूट रहेगी तथा साक्षात्कार में आने पर आने-जाने का किराया दिया जायेगा।

23.9 प्रतियोगी परीक्षायें जैसे- UPSC, PSC, RAILWAY, BANK आदि के लिए भोपाल, इन्दौर में आवासीय कोचिंग सेन्टर स्थापित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग दिलायी जायेगी।

23.10 सागर विश्वविद्यालय में ''हेलन स्किलर चेयर'' स्थापित करेंगे।

23.11 ऐसे जिले जहां निशक्तजनों के लिए शैक्षणिक संस्थायें नहीं हैं, विशेषकर मंदबुद्धि, दृष्टिबाधित, श्रवण/वाक् बाधित के लिए स्कूल खोले जायेंगे।

23.12 संभागीय स्तर पर श्रवण/वाक् बाधित, दृष्टिबाधितों के लिए आवासीय हाई /उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले जायेंगे।

23.13 दृष्टिबाधित के लिए भोपाल और श्रवणबाधित के लिए इन्दौर में महाविद्यालय खोलेंगे।

23.14 निशक्तजनों की शैक्षणिक संस्थाओं में लगने वाली निजी बसों एवं अन्य वाहनों का पंजीयन जिला प्रशासन में कराना अनिवार्य होगा तथा इन बसों में बच्चों की सुरक्षा की पूर्ण जवाबदारी बस संचालक एवं स्कूल प्रबंधन की होगी।

23.15 भाजपा के कार्यकाल में अन्य रूप से सशक्तजनों के विरूद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए उनकी शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे एवं हेल्पलाइन हेतु टेलीफोन लगवाये जायेंगे तथा साइन बोर्ड पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन एवं अन्य हेल्पलाइन के फोन नम्बर लिखे जाएंगे।

23.16 शारीरिक मानसिक चुनौती का सामना करते जनों को सामान्य स्कूल / महाविद्यालयों में 6 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाया जावेगा तथा उनके लिए छात्रावासी सुविधा बढ़ाई जावेगी।

23.17 शारीरिक मानसिक चुनौती करते जनों के लिए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों में भी उनकी सीट बढ़ाई जावेगी तथा आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक

में प्रवेशित मूकबधिरों, दृष्टिबाधितो को अध्ययन में कठिनाईयां न हो वहां ब्रेल एवं साइन भाषा के प्रशिक्षित शिक्षक रखेंगे।

23.18 शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रवृत्ति हेतु इन विद्यार्थियों के लिए आय की सीमा नहीं रखी जायेगी।

23.19 शिक्षा हेतु दृष्टिबाधित, श्रवण/वाक् बाधित एवं मंदबुद्धि श्रेणी के लिए ''सशक्त मित्र'' बनाये जायेंगे तथा उनको प्रोत्साहन राशि दी जावेगी, यह मित्र शिक्षा एवं रोजगार दिलाने का सक्षम बनाने तक रहेंगे।

23.20 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि के साथ-साथ सी.डी.(कम्प्यूटर) में पाठ्यक्रम उपलब्ध करायेंगे। उनके राइटर सरकार के द्वारा दिये जायेंगे।

23.21 छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता की दरों को मूल्य सूचकांक से जोड़ते हुये समय-समय पर बढ़ायेंगे।

23.22 शिक्षा प्रोत्साहन हेतु विद्यार्थियों को जो दसवीं में प्रवेश लेने पर दृष्टिबाधित, श्रवण एवं वाक् बाधित हैं उनको लेपटॉप तथा अस्थिबाधित जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हैं उन्हें मोट्रेड ट्राईसायकिल दी जावेगी।

23.23 इन व्यक्तियों को शल्य क्रिया के साथ-साथ, सहायक उपकरण उपलब्ध करायेंगे। सहायक उपकरणों की उपयोगिता की अवधि पूर्ण होने पर नये उपकरण देंगे।

23.24 मंदबुद्धि एवं बहुविकलांगों को स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रीय न्यास से किया जायेगा जिसकी प्रीमियम की राशि कांग्रेस सरकार भरेगी तथा अन्य निशक्तजनों का भी स्वास्थ्य बीमा करायेंगे।

23.25 कांग्रेस सरकार अन्य रूप से सशक्त उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करायेगी।

23.26 विकलांग वित्त विकास निगम की अंशपूंजी बढ़ाई जावेगी।

23.27 विश्व विकलांग दिवस पर विकलांगों को अवकाश दिया जावेगा।

23.28 प्रति दो वर्ष में राज्य स्तर पर विशेष राज्य ओलम्पिक खेलों का आयोजन इन खिलाड़ियों के लिए किया जायेगा तथा संभाग ,जिला एवं संस्था स्तर पर 19 नवम्बर से 2 दिसम्बर के बीच खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। सामान्य खिलाड़ियों की तरह अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर पुरस्कृत करेंगे तथा शासकीय सेवाओं में इन खिलाड़ियों के पद निर्मित करेंगे।

23.29 दृष्टिबाधित, श्रवण/वाक् बाधित एवं मंदबुद्धि के परिवार जो आवासहीन है, उनको प्राथमिकता पर आवास हेतु पट्टा एवं आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।

23.30 दृष्टिबाधित, श्रवण/वाक् बाधित एवं अस्थिबाधितों को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए योजना बनायी जावेगी।

23.31 नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला चिकित्सालयों में प्रति सप्ताह जारी किये जायेंगे तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की सेवायें भी लेंगे।

23.32 मानसिक मंदबुद्धि एवं ऑटिज़्म सेरेब्रल पाल्सी तथा बहु विकलांग लोगों को प्रमाण पत्र के लिए स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सुविधा प्राप्त कर विशेष केम्प लगाये जायेंगे।

23.33 मंदबुद्धि एवं बहु-विकलांग हेतु स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।

24. महिला सशक्तिकरण एवं महिला बाल विकास

24.1 कन्याओं को शासकीय प्राथमिक से शासकीय विश्वविद्यालय स्तर तक की नि:शुल्क शिक्षा दी जावेगी।

24.2 मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनु.जाति, अनु.जनजाति की कन्याओं की तरह अन्य वर्गों की कन्या जिनके परिवार की आय 10.00 लाख से कम है, उनकी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

24.3 कन्या विद्यालय एवं महाविद्यालय में काउंसलिंग सेन्टर (परामर्श केंद्र) खोले जायेंगे ।

24.4 ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को को सेनेटरी नैपकिन नि:शुल्क देंगे तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम एवं शिशु गृह बनायेंगे।

24.5 संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जायेंगे।

24.6 कन्याओं के लिए एन.सी.सी. शिक्षा अनिवार्य की जायेगी तथा पुलिस प्रशिक्षण दिया जावेगा, ताकि वह अपनी आत्मरक्षा कर सकें।

24.7 महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे।

24.8 महिलाओं के स्वसहायता समूह

- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाएंगे।
- महिला स्वसहायता समूह की समीक्षा कर बकाया ऋण माफ करेंगे।
- महिला स्वसहायता समूह को रियायती ब्याज दर पर 3-5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत प्रोत्साहन करने हेतु बैंकों से जोड़ेंगे।
- महिलाओं के स्वसहायता समूह से सेनेटरी नैपकिन, गणवेश, मध्यान्ह भोजन, लघु वन उपज का प्रसंस्करण, मसाला, जैविक खाद, ग्रामीण बाजार व्यवस्था आदि से जोड़ेंगे, उनको उक्त व्यवसाय एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देंगे।
- सरकारी स्कूलों एवं छात्रावास में लगने वाली सामग्री प्रदान करने हेतु महिलाओं के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता देंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे।

24.9 महिलाओं को ई-रिक्शा एवं टैक्सी संचालन से सुरक्षात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे।

24.10 पुलिस परिसर में सेवा केन्द्र विकसित करेंगे, इनका संचालन पुलिसकर्मियों की पत्नियों द्वारा किया जाएगा।

24.11 महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रत्येक जिले में INCUBATION CENTER (इन्क्यूबेशन सेन्टर) खोले जायेंगे।

24.12 संपत्ति में समान अधिकार हेतु आवासहीन महिलाओं को 600 वर्गफीट आवासीय भूखण्ड

का नि:शुल्क पंजीयन किया जायेगा 1000 वर्गफीट. तक के भूखण्ड के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत रहेगा।

24.13 महिलाओं के नाम से आवासीय भू-खण्ड एवं आवास आवंटित करेंगे तथा मृत्यु उपरांत इनका हस्तांतरण बेटी व बहू के नाम से करेंगे।

24.14 कृषक महिलाओं के लिए 5 एकड़ तक कृषि भूमि क्रय करने पर पंजीयन हेतु स्टाम्प शुल्क में 3 प्रतिशत रहेगा।

24.15 महिला सुरक्षा हेतु 17 से 45 साल की महिलाओं को नि:शुल्क स्मार्ट फोन देंगे और उसमें आत्म रक्षा के लिए एप्प इंस्टॉल करेंगे। इसके उपयोग से सुरक्षा के लिए तत्काल पुलिस पहुंचेगी तथा शासन की योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त करने में सुविधा होगी, बीपीएल श्रेणी की सभी महिलाओं को यह सुविधा देंगे।

24.16 महिलाओं के कामकाजी क्षेत्रों में महिला पुलिस चौकी स्थापित की जायेगी।

24.17 घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पृथक से पुलिस हेल्प लाईन स्थापित की जावेगी।

24.18 महिलाओं से संबंधित अपराध के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विशेष अदालतें (फास्ट ट्रैक कोर्ट) स्थापित की जावेंगी।

24.19 महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक भेद समाप्त करने के लिए ठोस प्रशासकीय उपायों द्वारा कार्यवाही करेंगे।

24.20 विधवा एवं परित्यक्ता एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रम स्थापित किये जायेंगे, जिसमें कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण एवं उत्पादन की गतिविधियां संचालित करेंगे।

24.21 मीडिया एवं प्रचारकों को महिलाओं के लिये संवेदनशील सकारात्मक प्रस्तुति हेतु प्रयास करेंगे।

24.22 बाल विवाह प्रथा, भिक्षावृत्ति की प्रथा, दहेज प्रथा, डायन जैसे अंधविश्वास का उन्मूलन हेतु अभियान चलायेंगे।

24.23 कुपोषण की प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य तेल तथा पैक्ड दुग्ध में विटामिन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति उनका फोर्टिफिकेशन किया जायेगा।

24.24 महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, नि:शुल्क औषधि, दवायें विभिन्न जांच की सेवायें उपलब्ध करायेंगे।

24.25 नियमित रूप से टीकाकरण, गर्भ निरोधक साधन, आयरन टेबलेट उपलब्ध करायेंगे।

24.26 महिलाओं से संबंधित गंभीर बीमारी के उपचार हेतु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जावेगी इसमें आय का बंधन नहीं रहेगा।

24.27 गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों से पौष्टिक आहार उपलब्ध करायेंगे।

24.28 आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था की जावेगी।

24.29 गंभीर रूप से बीमार महिलाएं जो कार्य करने की क्षमता खो चुकी हैं, उनको जीवन भर भरण-पोषण के लिए योजना बनायेंगे।

24.30 श्रमिक महिलाओं के लिए रैनबसेरा खोले जायेंगे।

24.31 महिला एकल खिड़की प्रणाली लागू की जायेगी।

24.32 महिलाओं के लिए बजट में 40 प्रतिशत प्रावधान करेंगे।

24.35 महिलाओं को सत्ता एवं सम्पत्ति में समान अवसर-महिलाओं के लिये 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी सभा तथा 8 मार्च को सबला सभा का विशेष आयोजन करायेंगे। विशाखा मामले में फैसले के अनुरूप वर्कप्लेस की परिभाषा में आंगनवाड़ी, पंचायत, नगरीय निकाय के भवनों को सम्मिलित करेंगे।

- महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी में सुगमता की व्यवस्था लागू होगी।
- एकल या समूह खेलो में हिस्सा लेने वाली प्रदेश की लड़कियां जो जिला स्तर प्रदेश स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जायेंगी उनके साथ महिला अधिकारी भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

24.36 बाल संरक्षण

बच्चों के लिए ''समग्र आदर्श नीति'' बनाएंगे। इसके अंतर्गत-

- नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलेंगे।
- बाल मजदूर कानून का कड़ाई से पालन कराएंगे, बाल श्रमिकों की पहचान होने पर शिक्षा के अधिकार के तहत विशेष आवासीय स्कूलों में प्रवेश दिलवाएंगे।
- बाल अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए जवाबदेही व्यवस्था लागू करेंगे, इससे जुड़े आपराधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए ''फास्ट ट्रेक कोर्ट'' स्थापित करेंगे, एवं बच्चों के भिक्षावृत्ति, बालविवाह जनजागरण के माध्यम से रोकेंगे। नये बालगृह स्थापित करेंगे।
- किशोर न्याय ''बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000'',बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2012 को सख्ती से लागू करेंगे।

25. आदिम जाति न्याय एवं सशक्तिकरण / घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़

25.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण एवं संरक्षण की व्यवस्था स्थापित करेंगे तथा आदिम जाति मंत्रणा परिषद की नियमित बैंठकों का आयोजन करेंगे। इन बैठकों में लिए गये निर्णय का क्रियान्वयन करायेंगे। इसमें सभी वर्गों के आदिवासियों एवं महिलाओं (आदिवासी) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेगा।

जिला स्तरीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन करेंगे। इस परिषद की अध्यक्षता आदिम जाति समाज के चुने गये जनप्रतिनिधि द्वारा की जावेगी।

25.2 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची का पूर्ण क्रियान्वयन और 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले विकासखण्डों में छठी अनुसूची का भूरिया समिति के अनुरूप क्रियान्वयन करने की पहल करेंगे।

25.3 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम PANCHAYAT EXTENSION TO SCHEDULE AREA (PESA) 1966 को लागू करेंगे।

25.4 लॉ-कमीशन के द्वारा कई कानूनों को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। इस कमीशन में अनु.जाति, जनजाति के कानूनों के संरक्षण के लिए इस वर्ग के प्रतिनिधि को भी रखने की अनुशंसा केन्द्र को भेजेंगे।

25.5 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं का पुनर्गठन करेंगे। विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त राशि से कार्य परियोजनाओं से करायेंगे ।

25.6 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया तथा सहरिया समाज के लोग जो अभिकरण के क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं, उनको अभिकरण के दायरे में लायेंगे। इनको प्रतिमाह पोषण हेतु रूपये 1500 की राशि देंगे।

25.7 कोल, कोरकू तथा मवासी जनजाति भी अत्यधिक पिछड़ी है, इन जातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कराने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे।

25.8 अनु. जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी मानवाधिकार और उनके संरक्षण के लिए बने कानूनों को लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। हम किसी भी वर्ग के प्रति भेदभाव के खिलाफ हैं।

25.9 म.प्र. आदिम जाति, जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 के अंतर्गत बनाये गये प्रावधानों की भावना को गलत ढ़ंग से प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया है, जिसके हित संरक्षण की जगह आदिवासियों को परेशानी हुई है, इसमें परिवर्तन करेंगे।

25.10 म.प्र. अनु जाति/ जन जाति के सदस्यों की ऋणग्रस्तता के निवारण के लिए उपबंध करने का अधिनियम 1967 को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु नियम बनायेंगे।

25.11 भूराजस्व संहिता की धारा 165(1) छ: के अंतर्गत आदिवासियों को भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है, इस धारा का दुरूपयोग हो रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे। आदिवासियों को 2002 के पूर्व आवंटित भूमि के पट्टों मे उल्लेखित अहस्तांतरण को हटायेंगे तथा कब्जा दिलवायेंगे।

25.12 वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधन 2013 के तहत वन भूमि पर जिन कब्जाधारी आदिवासियों को पट्टा नहीं मिला है उनको पट्टा दिलवायेंगे तथा उनकी भूमि को कृषि योग्य बनायेंगे। पट्टों की जगह मालिकाना हक देंगे।

25.13 संवैधानिक संस्थाओं जैसे मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता

फोरम, राज्य निर्वाचन आयोग में अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

25.14 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3, 4, 12, 25, 29, 30, 32, 41, 69 तथा 80 में उल्लेखित प्रावधानों में आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने के प्रावधान जोड़ने के प्रस्ताव भेजेंगे।

25.15 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति में आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रावधान जोड़ेंगे।

25.16 **'' म.प्र. आदिवासी उपयोजना अधिनियम''** बनायेंगे तथा जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति के मान से बजट प्रावधान करेंगे। बजट राशि पूर्ण व्यय हो, निर्धारित मद अनुसार हो, मनमाने तरीके से मद परिवर्तित करने पर कार्यवाही करेंगे।

25.17 मध्यप्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु **''लोककला शाला''** की स्थापना करेंगे एवं रंगमंच की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

25.18 आदिवासियों से जुड़े गायन, नृत्य को संरक्षण प्रदान करेंगे तथा इनके कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे।

25.19 गौंडी एवं अन्य जनजातियों की चित्रकला को संरक्षित करते हुये उसको बढ़ावा देंगे तथा नये चित्रकला केन्द्र स्थापित करेंगे।

25.20 आदिवासी लोककला, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं के नाम से पुरस्कार दिये जायेंगे एवं कलाकारों को सम्मानित करेंगे।

25.21 गौंडी भाषा के संवर्धन हेतु विशेष अकादमी स्थापित की जायेगी तथा गौंडी, भील, कोरकू भाषा का संवर्धन करेंगे। अन्य जनजातियों की बोली को संरक्षित करेंगे।

25.22 आदिवासी समाज के आस्था केन्द्रों को संरक्षित करेंगे।

25.23 आदिवासी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें साहित्य संगोष्ठी, वादविवाद, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प आदि को सम्मिलित करेंगे।

25.24 आदिवासी साहित्य के नवलेखकों तथा आदिवासी संस्कृति के शोध कर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे एवं उनको प्रोत्साहन राशि देंगे।

25.25 विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में आदिवासी संस्कृति को आदिवासी भाषा/बोली पर आधारित पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे।

25.26 आदिम जातियों के सामाजिक विषयों, कला, संस्कृति, ज्ञान, इतिहास एवं विरासत का अध्ययन, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण के कार्य किये जायेंगे तथा स्कूल एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे, इनका प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि युवा पीढ़ी एवं आने वाली पीढ़ी आदिवासी संस्कृति एवं विरासत से अनभिज्ञ न रहे।

25.27 प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल एवं शासकीय विभागों के वाचनालयों में आदिम जाति पर आधारित साहित्य उपलब्ध करायेंगे।

25.28 शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, शिक्षकों के रिक्त पद भरेंगे, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत प्रशिक्षित करेंगे।

25.29 स्कूलों में अन्य विषयों के साथ-साथ अंग्रेजी को अनिवार्य एवं आदिवासी बोली को ऐच्छिक विषय के रूप में रखेंगे तथा आदिवासी समाज के महापुरूषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कला, संस्कृति, विरासत एवं जीवन मूल्यों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे ।

25.30 आदिवासी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य, समाज सेवा, साहित्य एवं संरक्षण, चित्रकला, वीरता जैसे कार्य करने वालों के लिए टंट्या भील, बादलभोई, रानी दुर्गावती एवं जनगन श्याम के नाम से पुरस्कार देंगे।

25.31 शंकरशाह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाये रखने के लिए उनके नाम से एक स्मारक जबलपुर में बनाएंगे।

25.32 प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जायेगा एवं शासकीय ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जायेगा।

25.33 आदिवासी अंचलों में जनजातीय महाविद्यालय की स्थापना करेंगे, इन महाविद्यालयों में पौराणिक, तकनीकी, संस्कृति, इतिहास, विरासत एवं ज्ञान पर शोध, अध्ययन एवं शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

25.34 आदिवासियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरी व, होटल एवं टूरिज्म, आर्किटेक्ट, पायलेट, सेल्समेनशिप, की शिक्षा हेतु संस्थान स्थापित करेंगे।

25.35 आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य पॉलीटेक्निक कॉलेज तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एकलव्य आई.टी.आई. खोले जायेंगे।

25.36 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ-साथ जिला स्तर पर विशेष कोचिंग सेन्टर प्रारंभ किये जायेगे।

25.37 स्कूली छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक, पठन-सामग्री, गणवेश, जूते, मौजे, चप्पल वितरित किये जायेंगे।

25.38 उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश के बाहर एवं देश के बाहर शिक्षा ग्रहण करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं को बढ़ायेंगे तथा विदेशों में अध्ययन के लिए सीट बढ़ायेंगे, कन्याओं को प्राथमिकता दी जायेगी। वित्तीय भार राज्य सरकार उठायेगी।

25.39 छात्रवृत्ति की दरों में वर्तमान मूल्य सूचकांक को देखते हुये वृद्धि करेंगे। प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे।

25.40 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार तथा आदिवासियों की पोषण सामग्री को प्रतिदिन के मीनू में सम्मिलित करेंगे तथा स्थानीय स्वसहायता समूह के माध्यम से तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन चालू रहेगा।

25.41 आदिवासी क्षेत्र में स्थित बालक-बालिकाओं के (9 वीं से 12 वीं) के स्कूलों में एनसीसी, एनएसएस की शिक्षा अनिवार्य की जायेगी।

25.42 आदिवासी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन हेतु **''आदिवासी खेल महाविद्यालय''** स्थापित करेंगे।

25.43 आदिवासी क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए **''टंट्या भील तीरंदाजी एकेडमी''** स्थापित करेंगे।

25.44 नेतृत्व विकास शिविर तथा काउंसलिंग केन्द्र स्थापित करेंगे।

25.45 छात्रावासों का मासिक निरीक्षण होगा, शिकायत पुस्तिका एवं ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था होगी,उच्च गुणवत्ता की जीवन उपयोगी सामग्री क्रय होगी एवं भोजन पौष्टिक तथा उच्च गुणवत्ता का होगा। छात्रावासों की संख्या एवं सीटे भी बढ़ाई जायेंगी, कन्या छात्रावास भी बढ़ाये जायेंगे।

25.46 बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल उन्नयन के कार्यक्रम प्रांरभ करेंगे।

25.47 चेम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करेंगे, जिसमें आदिवासी व्यवसायी एवं उद्योगपतियों को ही अध्यक्ष बनाते हुये शासकीय संरक्षण प्रदान करेंगे।

25.48 शिक्षित बेरोजगार आदिवासी युवक-युवतियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंकों एवं आदिवासी वित्त विकास निगम से ऋण रियायती ब्याज दर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करायेंगे।

25.49 आदिवासियों को पशुपालन, मत्स्यपालन के क्षेत्र में नये रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए उनको इस हेतु प्रोत्साहित करेंगे तथा उनको प्रशिक्षण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

25.50 आदिवासी वित्त विकास निगम के बकाया ऋण (रूपये एक लाख तक) समीक्षा उपरांत माफ करेंगे।

25.51 राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के प्रतियोगी परीक्षायें जैसे UPSC, PSC, RAILWAY, BANK, SSC, आदि के कोचिंग संस्थान स्थापित करेंगे तथा प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की नि:शुल्क व्यवस्था करेंगे।

25.52 आदिवासी कृषकों को खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए उनको कृषि यंत्रों, खाद, बीज, एवं सिंचाई साधनों पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत नि:शुल्क वितरण कराया जायेगा।

25.53 आदिवासी कृषकों की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए गहरी जुताई और आधुनिक तकनीकी की सुविधायें एवं अनुदान देंगे।

25.54 कृषि अभियांत्रिकी की सेवायें आदिवासी अंचलों में उपलब्ध करायी जायेंगी।

25.55 आदिवासी क्षेत्र के, आदिवासियों के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएँगे।

25.56 खेतों एवं सिंचाई के स्त्रोत जैसे- नदी तालाब एवं नाले तक विद्युत लाईन का विस्तार करेंगे।

25.57 आदिवासी किसानों को मसाला, सब्जी, फलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा 75 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करायेंगे।

25.58 एकीकृत आदिवासी कृषि साख समितियां/ बहुउद्देश्यीय समितियां पुनर्गठित करेंगे और उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेंगे।

25.59 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में वन ग्राम हैं उनको राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करेंगे। राजस्व एवं वन सीमा के विवादों का निपटारा करेंगे।

25.60 सभी लघु वनउपज का समर्थन मूल्य राज्य शासन द्वारा घोषित किया जायेगा।

25.61 आदिवासियों द्वारा संग्रहित वन उपज के भण्डारण, ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी।

25.62 तेंदूपत्ता श्रमिकों की मजदूरी की दरों में वृद्धि करेंगे, मजदूरी एवं बोनस का नकद भुगतान

करेंगे ।

25.63 सभी संभागीय मुख्यालय, जिला, तहसील, एवं विकास खण्ड स्तर पर सामुदायिक भवन निर्मित किये जायेंगे, इन सामुदायिक भवनों का उपयोग आदिवासी समाज अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकें।

25.64 आदिवासी बस्तियों में बुनियादी सुविधायें यथा- पेयजल, स्ट्रीट लाईट, प्रसाधन, नाली, सड़क, एवं कूड़ादान की सुविधा विकसित की जायेगी

25.65 आदिवासी गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा, नई सड़कें, पुल-पुलिया बनाई जायेंगी।

25.66 शासन निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों का नामकरण आदिवासी महापुरूषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिक के नाम से किया जायेगा।

25.67 शासकीय परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों की नई बस्तियों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, परिवहन, विद्युत, संचार, बाजार एवं आवागमन की सुविधायें विकसित की जायेंगी।

25.68 आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी हॉट को प्रोत्साहित करेंगे तथा नये बाजार के केन्द्र विकसित करेंगे।

घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुम्मकड़ जाति

25.69 घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुम्मकड़ जाति के पुनर्वास की योजना बनाएंगे, उनको आवास का आवंटन, राशन कार्ड की सुविधा एवं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

25.70 घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुम्मकड़ जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा सरल बनाएंगे।

25.71 घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुम्मकड़ जाति के युवाओं के लिए रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तथा रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।

26. अनुसूचित जाति न्याय एवं सशक्तिकरण/ सफाई कामगार

26.1 अनु. जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी मानवाधिकार और उनके संरक्षण के लिए बने संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। हम किसी भी वर्ग के प्रति भेदभाव के खिलाफ हैं।

26.2 सामूहिक दलित उत्पीड़न मामलों की जांच हेतु SIT कायम की जावेगी।

26.3 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन हेतु पुलिस एवं न्यायालयों की समीक्षा की जायेगी और उनको अधिकार एवं सुविधा सम्पन्न किया जायेगा।

26.4 प्रदेश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता फोरम, राज्य निर्वाचन आयोग में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

26.5 बाछड़ा, बेड़िया एवं कंजर आदि जातियों की महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करायेंगे।

26.6 प्रदेश के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत जनसंख्या के मान से बजट प्रावधान करेंगे इस हेतु अधिनियम बनायेंगे।

26.7 अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति विकास परिषद का गठन करेंगे।

26.8 मध्यप्रदेश की अनुसूचित लोक कला के संवर्धन हेतु लोककला शाला की स्थापना करेंगे एवं रंगमंच की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। अनुसूचित जाति से जुड़े गायन, सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के आस्था केन्द्रों को संरक्षित किया जायेगा।

26.9 अनुसूचित जातियों के सामाजिक विषयों, कला, संस्कृति, ज्ञान, इतिहास एवं विरासत का अध्ययन, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण के कार्य किये जायेंगे तथा स्कूल एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे, इनका प्रचार-प्रसार करेंगे, युवा पीढ़ी एवं आने वाली पीढ़ी से अनुसूचित जाति संस्कृति एवं विरासत से अनभिज्ञ न रहे।

26.10 IIM, IIT, NIT में शिक्षा हेतु चयनित छात्र-छात्राओं की संपूर्ण फीस सरकार देगी।

26.11 जिला एवं संभाग स्तर पर पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में सीट वृद्धि करेंगे तथा आवश्यकता होने पर बालक-बालिकाओं के छात्रावास स्थापित करेंगे।

26.12 स्कूलों में अन्य विषयों के साथ-साथ अंग्रेजी को अनिवार्य करेंगे तथा अनुसूचित समाज के महापुरूषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कला, संस्कृति, विरासत एवं जीवन मूल्यों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे।

26.13 अनुसूचित जाति के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरी व, होटल एवं टूरिज्म, आर्किटेक्ट, पायलेट, सेल्समेलशिप, की शिक्षा हेतु संस्थान स्थापित करेंगे।

26.14 अनुसूचित जाति के विधानसभा क्षेत्रों में अंबेडकर आई.टी.आई. खोले जायेंगे।

26.15 अनुसूचित जाति की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ-साथ जिला स्तर पर विशेष कोचिंग की व्यवस्था करेंगे।

26.16 स्कूली छात्र-छात्राओं को गणवेश, जूते, मौजे, वितरित किये जायेंगे।

26.17 उच्च शिक्षा हेतु सुविधायें बढ़ायेंगे तथा विदेशों में अध्ययन के लिए सीट बढ़ायेंगे। इस हेतु कन्याओं को प्राथिमकता देंगे।

26.18 बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल उन्नयन के कार्यक्रम प्रांरभ करेंगे।

26.19 शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से ऋण एवं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से रियायती ब्याज दर पर ऋण 5 वर्ष के लिए उपलब्ध करायेंगे।

26.20 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के बकाया ऋण (रूपये एक लाख तक) समीक्षा उपरांत माफ करेंगे।

26.21 शासकीय ठेकों में एवं खरीदी में आरक्षित वर्ग के लोगों को 30 प्रतिशत आदेश दिलवायेंगे।

26.22 राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के प्रतियोगी परीक्षायें जैसे UPSC, PSC, RAILWAY, BANK, SSC, आदि के कोचिंग संस्थान स्थापित करेंगे तथा प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की नि:शुल्क व्यवस्था करेंगे।

26.23 नेतृत्व विकास शिविर तथा काउंसलिंग केन्द्र स्थापित करेंगे।

26.24 महिला बाल विकास विभाग की सेवाओं का विस्तार करेंगे तथा नये आंगनवाड़ी केन्द्र, शिशु केन्द्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित करायेंगे।

26.25 अनुसूचित जातियों के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों के रोकथाम के उपाय करेंगे एवं अनुसूचित जाति की कन्याओं को बहला-फुसलाकर बाहर ले जाने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पर जवाबदेही निर्धारित की जायेगी।

26.26 अनुसूचित जाति से जुड़े मामलो में विवेचना एवं चालान प्रस्तुति की समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ताकि इस वर्ग को समय पर न्याय मिल सके।

26.27 अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं की भांति अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में कद/लम्बाई की छूट दी जायेगी।

26.28 अनुसूचित जाति की बस्तियों में बुनियादी सुविधायें यथा- पेयजल, स्ट्रीट लाईट, प्रसाधन, नाली, सड़क, एवं कूड़ादान की सुविधा विकसित की जायेगी।

26.29 अनुसूचित जाति बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा, नई सड़कें, पुल-पुलिया बनाई जायेंगी।

26.30 शासन निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों का नामकरण अनुसूचित जाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिक के नाम से किया जायेगा।

26.31 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पृथक से तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की जायेगी जिसमें वे स्थान जहां अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की मान्यता है जैसे डॉ. अंबेडकर, कबीर, सुरदास, रैदास एवं भगवान बुद्ध आदि की जन्मस्थली एवं ऐतिहासिक स्थलों को सम्मिलित किया जायेगा।

26.32 सफाई कामगार

- सफाई कामगारों के पुनर्वास के अधुरे कार्य पूर्ण करेंगे।
- शासकीय विभागों एवं निकायों में सफाई ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे।

- सीवेज टेंक एवं नालों की सफाई हेतु आधुनिक उपकरणों का उपयोग एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
- सीवेज टेंक एवं नालों की सफाई कार्य में लगे सफाई कामगारों का रु. 25 लाख नि:शुल्क बीमा कराएंगे।
- सीवेज टेंक एवं नालों की सफाई कार्य में लगे सफाई कामगारों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देंगे।
- शासकीय कार्यालयों एवं निकायों में दैनिक वेतन एवं अन्य किसी तरीके से लगे सफाई कामगारों का नियमितीकरण करेंगे।
- सिर पर मैला ढ़ोने की व्यवस्था प्रतिबंधित है इस कानून को प्रदेश में शक्ति से लागू करेंगे।
- सफाई कामगारों को वाल्मिकी जयंती पर विशेष अवकाश देंगे।

27. पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग न्याय एवं सशक्तिकरण

27.1 राम जी महाजन आयोग, मण्डल आयोग, काका कालेलकर आयोग की अनुशंसायें कांग्रेस सरकार लागू करेगी।

27.2 पिछली कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग हेतु शासकीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण किया था, उसको लागू करने के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजेंगे एवं इसे स्वीकृत कराने के लिये भरपूर प्रयास करेंगे।

27.3 संवैधानिक संस्थायें, मानवाधिकार, लोकसेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, बाल-कल्याण आयोग, श्रमिक कर्मकार मण्डल आदि में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से हो ऐसी व्यवस्था करेंगे।

27.4 चयन हेतु साक्षात्कार एवं पदोन्नति समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से रखेंगे।

27.5 परम्परागत कुटीर उद्योग एवं छोटे व्यापार में लगे परिवार जिन पर बैंकों का कर्जा है उसे समीक्षा कर माफ करेंगे।

27.6 पिछड़े वर्ग की जातियों में अति पिछड़ी श्रेणी की जातियों का जातिवार सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आधार पर अध्ययन करायेंगे।

27.7 अति पिछड़ी जातियों को चिन्हित कर उनके लिए शैक्षणिक परिसर स्थापित करेंगे, इन परिसर में शाला, छात्रावास, खेलकूद, व्यायाम एवं कौशल उन्नयन की सुविधा भी रहेगी।

27.8 अति पिछड़ा वर्ग की कन्याओं को अनु.जाति, जनजाति की भांति शैक्षणिक एवं छात्रावास की सुविधायें देंगे।

27.9 अति पिछड़े वर्ग की जातियों को शिक्षा, रोजगार एवं सत्ता में भागीदार बनायेंगे।

27.10 मीना, मांझी ,कहार, केवट, ढीमर, कीर, मल्लाह, निषाद, भोई, रजक, प्रजापति, सेन आदि की मांगों का प्रस्ताव पर विशेष मानव शास्त्री अध्ययन कराकर, उचित कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

27.11 संभाग स्तर पर 500 तथा जिला स्तर पर 200 की क्षमता के बालक-बालिका छात्रावास स्थापित करेंगे। पिछड़ा वर्ग की कन्या आवासीय कोचिंग सेन्टर ''बा सावित्री बाई फूले'' के नाम से प्रारंभ किये जायेंगे।

27.12 शिक्षा के लिए आय सीमा (क्रीमीलियर) 10 लाख तक बढ़ाई जायेगी।

27.13 अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों हेतु UPSC, PSC, RAILWAY तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग की आवासीय सुविधा देंगे।

27.14 IIM,IIT, NIT में शिक्षा हेतु चयनित छात्र-छात्राओं की संपूर्ण फीस सरकार देगी।

27.15 अन्य पिछड़ा वर्ग के वंशपरम्परागत उद्योग पर रियायती ब्याज दर पर ऋण 3 वर्ष के लिए देंगे, भोपाल हाट की तर्ज पर जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर बाजार हाट स्थापित करेंगे।

27.16 पिछड़े वर्ग के परंपरागत कुटीर, हस्तशिल्प, हाथकरघा के उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कराने के लिए अनुशंसा करेंगे।

27.17 विभिन्न आयोग के प्रतिवेदन में जाति व्यवसाय, उपनाम आदि की विसंगतियां दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करेंगे।

27.19 कालबेलिया/ पारधी समाज आदि के कल्याण एवं विकास हेतु विशेष पैकेज प्रदान किया जायेगा।

27.20 राज्य एवं जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सलाहकार मण्डल गठित किया जायेगा।

27.21 पिछड़ा वर्ग विभाग के बजट में बढ़ोतरी करेंगे तथा ''पिछड़ा वर्ग उप योजना'' लायेंगे।

27.22 पिछड़ा वर्ग हेतु जिला स्तर पर सांस्कृतिक भवन का निर्माण करेंगे तथा स्थानीय कलाकारों को उससे जोड़ेंगे।

27.23 अल्पसख्यंकों की भाषाओं के संवर्धन हेतु विशेष अकादमी स्थापित की जायेगी।

27.24 अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग के आस्था केन्द्रो को संरक्षित करेंगे।

27.25 स्कूलों में अन्य विषयों के साथ-साथ अंग्रेजी को अनिवार्य एवं ऊर्दू भाषा ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करेंगे । उर्दू शिक्षकों के पदों को भरेंगे।

27.26 अल्पसंख्यकों की भाषा के संवर्धन हेतु अकादमी स्थापित करेंगे।

27.27 वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे एवं सम्पत्ति को व्यवस्थित करेंगे।

27.28 अल्पसंख्यक वर्ग की बस्तियों में बुनियादी सुविधायें यथा- पेयजल, स्ट्रीट लाईट, प्रसाधन, नाली, सड़क की सुविधा विकसित की जायेगी।

27.29 गुरू नानक देव का 550 वां प्रकाश वर्ष मनायेंगे, गुरूमुखी को संरक्षण प्रदान करेंगे, अकादमी खोलेंगे, सांस्कृतिक विरासत बनाये रखेंगे।

27.30 भगवान महावीर के 2600 वें निर्वाण वर्ष में तात्कालिन कांग्रेस सरकार ने अहिंसा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान महावीर के नाम पर सम्मान/पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया था इसे हम पूरा करेंगें।

28. सामान्य वर्ग

28.1 सामान्य वर्ग आयोग का गठन करेंगे।

28.2 सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की आय की सीमा रूपये 1.20 लाख से बढ़ाकर रूपये 6.00 लाख करेंगे, इस आय सीमा के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करेंगे ।

29. सिंधी समाज

29.1 सिंधी समाज के सांस्कृतिक केन्द्र(कन्वेंशन सेंटर) की स्थापना करेंगे।

29.2 सिंधी अकादमी का पुनर्गठन करेंगे।

29.3 सिंधी समाज के पट्टा संबंध विवाद का निराकरण 6 माह में करेंगे। शरणार्थी होने के प्रमाण पत्र की बाध्यता को हटायेंगे।

29.4 सिंधी समाज के कुछ लोग जो नागरिकता से वंचित हैं, उनके नागरिकता के संबंध में केन्द्र को अनुशंसा भेजेंगे।

29.5 सिंधी भाषा को संरक्षित कर बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए सिंधी महाविद्यालय की स्थापना संत हिरदाराम के नाम से करेंगे, जिसमें पाठ्यक्रम एवं परीक्षा सिंधी भाषा में आयोजित की सुविधा दी जायेगी तथा सिंधी साहित्य पर डिग्री/ डिप्लोमा देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

29.6 पूर्व से जहां सिंधी समाज के लोग बसे हैं वहां का नियोजित विकास करेंगे। पुरानी कॉलोनियों का विकास करेंगे तथा पुरानी बस्ती के समीप नई टाउनशिप विकसित करेंगे।

29.7 सिंधी भाषा को संरक्षित कर अकादमी खोलेंगे, सांस्कृतिक विरासत बनाये रखेंगे।

29.8 नागरिकता एवं पट्टों की नियमितीकरण की वर्षों पुरानी मांग का निराकरण करेंगे।

29.9 पुरानी कालोनियो का विकास करेंगे एवं इनके समीप नई टाउनशिप विकसित करेंगे।

30. आवास एवं पर्यावरण

30.1 **संजय गांधी पर्यावरण मिशन** प्रारंभ करेंगे।

- माँ नर्मदा नदी, अन्य सभी नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण हेतु सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तथा स्थानीय स्व सहायता समूहों को देखभाल एवं सुरक्षा का दायित्व देंगे, इन समितियों को मानदेय देंगे।
- मिशन के अंतर्गत अन्य खुले क्षेत्रों में सामुदायिक वृक्षारोपण कराएंगे, स्थानीय स्व सहायता समूहों को देखभाल एवं सुरक्षा का दायित्व देंगे, तथा मानदेय भी देंगे।
- पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के उपाय करेंगे।
- नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तथा नदियों एवं प्राकृतिक जल स्त्रोतों के जल संरक्षण हेतु इनके जलग्रहण (Catchments area) में वृक्षों की कटाई पूर्णत: प्रतिबंधित करेंगे।
- नदियों के उदगम स्थलों का संरक्षण तथा अतिक्रमण से मुक्त करेंगे। नदियां और जलाशय जिनमें निरंतर पानी का भराव एवं अविरलता घट रही है, उनको बनाये रखने के लिए योजना तैयार करेंगे।
- भू-गर्भीय जल स्त्रोत जो लुप्त हो रहे हैं, उनके संरक्षण की कार्ययोजना बनायेंगे। जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में वॉटर शेड मिशन प्रांरम्भ करेंगे ।
- पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों पर नियंत्रित एवं उनके निवारण के उपाय किये जायेंगे।
- जल को प्रदूषण से बचाने के लिए जल निकासी प्रणाली विकसित करेंगे।
- नगरीय क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन हेतु प्रभावी कदम उठाएंगे तथा मल-जल निकासी एवं वर्षा के जल के लिए कार्ययोजना तैयार कर लागू करेंगे।
- Zero waste तकनीकी से प्रदूषण नियंत्रित करेंगे।
- जनजागृति के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को रोकेंगे ।

30.2 चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन हेतु चिकित्सालयों पर जवाबदेही निर्धारित करेंगे।

30.3 पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन को सशक्त बनायेंगे।

30.4 वाहनों से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग को जवाबदेह बनायेंगे।

30.5 श्रमिकों के हित में बंद कपड़ा मिलों की भूमि के वर्तमान प्रयोजन को बदलेंगे।

30.6 आवास का अधिकार

- आवास का अधिकार कानून बनायेंगे, सभी शहरी एवं ग्रामीण आवासहीनों को 450 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड, आवास निर्माण हेतु 2.50 लाख देंगे।
- महिलाओं को 600 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड के पंजीयन हेतु स्टाम्प शुल्क 1 प्रतिशत रहेगी।
- आवासीय भूखण्ड 1000 वर्गफीट पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत रहेगा।

- आवासीय अस्थायी पट्टेदारों को मालिकाना हक देने हेतु एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क पर रजिस्ट्री करायेंगे। बड़ी परियोजानाओं के पुर्नवास ग्रामों में भी यह सुविधा मिलेगी, पट्टाधारियों की चक आबादी भी शामिल रहेगी।
- शहरों एवं ग्रामों में चक आबादी में बसे लोगों का स्थायी पट्टा बनायेंगे।
- वास्तविक आवासहीन जो नजूल की भूमि पर बसे हैं उन लोगों को 450 वर्गफीट तक स्थायी पट्टे देंगे।
- निजी क्षेत्र की कॉलोनी में गरीब एवं कमजोर वर्ग के लिए भूखंड आरक्षित कराएंगे एवं आवंटित करेंगे ।
- सहकारी गृह निर्माण समितियों के सदस्यों के आवासीय भूखंड के नवीनीकरण तुरंत कराएंगे तथा निज होल्ड को फ्री करेंगे - तथा इन पट्टों को फ्री होल्ड करने के नियम सरल करेंगे।

31. नगरीय प्रशासन

31.1 नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्तमान आवश्यकताओं को परिप्रेक्ष्य में संशोधन करेंगे।

31.2 महानगरों एवं अन्य बड़े नगरों का समुचित विकास की दृष्टि से मास्टर प्लान बनायेंगे।

31.3 सभी नगरों के लिए पेयजल, नल जल शोधन संयंत्र, जल निकासी, प्रसाधन, स्ट्रीट लाईट, गंदी बस्तियों के उन्मूलन पर्यावरण, स्वच्छता तथा नये बाजार हेतु शहर विकास प्लान तैयार करेंगे।

31.4 शहर के बाहर नये आवासीय क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके समुचित विकास हेतु विकास योजना तैयार करेंगे।

31.5 सम्पत्ति कर, बाजार कर एवं विकास शुल्क को युक्तिसंगत बनायेंगे।

31.6 नगरीय क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था में ठेका प्रथा समाप्त करेंगे।

31.7 नगरों में पार्किंग की व्यवस्था शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को देंगे।

31.8 कांजी हाउस को व्यवस्थित कर संचालित करेंगे तथा रहवासी क्षेत्रों को आवारा कुत्तों से मुक्त करेंगे।

31.9 नगरों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु पूर्व में कांग्रेस सरकार के जो कदम उठाये थे, उसे पूरा करेंगे।

31.10 महानगरों के समीप सेटेलाईट टाउनशिप विकसित करेंगे।

31.11 सभी नगरपालिकाओं की सीमा के बाहर थोक व्यवसाय हेतु व्यापारिक परिक्षेत्र, विकसित करेंगे, इसी के समीप ट्रांसपोर्ट नगर भी रहेगा।

31.12 बी.आर.टी.एस. से शहरवासियों को परेशानी हुई है, इसे बंद करेंगे। इससे हुये नुकसान की जिम्मेदारी तय करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

31.13 सभी नगरीय निकायों में सिटी बस सुविधा प्रारंभ करने हेतु नीति बनायेंगे।

31.14 नगरीय निकायों के रिक्त पद भरेंगे। निकायों के कर्मियों की वेतन, पेंशन, बीमा एवं चिकित्सा आदि मांगों का निराकरण शीघ्र करेंगे।

32. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

32.1 स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की प्रेरणा से संविधान के 73 और 74 वां संशोधन कराया गया, इसे कांग्रेस सरकार ने अक्षरश: लागू किया था, इसे हम पुन: लागू करने का वचन देते हैं।

32.2 निकायों को स्वराज संस्थान के रूप में सशक्त बनायेंगे ''लोगों की सरकार'' ''लोग ही सरकार'' के सिद्धांत को लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध रहेगी।

32.3 संविधान की अनुसूची 11 में 29 विभाग तथा 12 में 18 विभाग पंचायत एवं नगरीय निकायों के लिए हस्तांतरण करेंगे। ''ट्रिपल एफ'' फार्मूला FUND, FUNCTION, And FUNCTIONARIES बजट, कार्यक्रम और अधिकारी एवं कर्मचारियों की जवाबदेही, सुनिश्चित करेंगे। उक्त ''ट्रिपल एफ'' फार्मूला के तहत एक ही स्थान पर नागरिकों को सभी विभागों की सुविधाएं प्राप्त हों, इस हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज की यथा जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त भवन बनाए जाएंगे और उनमें नागरिकों की सुविधाओं के लिए एकल खिड़की प्रारंभ की जायेगी।

32.4 पंचायत अधिनियम की धारा 40 के दुरूपयोग को रोकने के लिए नये प्रावधान लायेंगे।

32.5 ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनायेंगे। अनु.जाति, जनजाति बाहुल्य पंचायतों में पृथक से ग्राम सभाओं का आयोजन करायेंगे ताकि वे अपने हक का फैसला दे सकें।

32.6 महिलाओं के लिए विशेष ग्राम सभा 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी एवं 8 मार्च को सबला सभाओं को आयोजित करायेंगे।

32.7 ''विशाखा'' मामले में दिये गये फैसलों में ''वर्क प्लेस'' की परिभाषा में पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन को महिला सुरक्षा एवं अधिकार हेतु शामिल करेंगे।

32.8 पंचों को 500 रूपये, जनपद सदस्य को 1000 रूपये और जिला पंचायत सदस्य को 1500 रूपये प्रति बैठक भत्ता देंगे।

32.9 सरपंच, सदस्य जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे।

32.10 ग्राम पंचायतों के आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे। गौण खनिज, वनोपज आदि के माध्यम से आय के स्त्रोत विकसित करेंगे।

32.11 राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर के कार्यों की मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायतों की देख-रेख में करायेंगे। ग्रामों का प्रबंध, नियंत्रण एवं निगरानी ग्राम सभाओं को देंगे।

32.12 आवास, कूप, शौचालय, निर्माण की राशि का भुगतान तुरंत करायेंगे तथा ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि किश्त एवं मजदूरी का समय पर भुगतान हो।

32.13 प्रत्येक ग्राम पंचायत का विकास प्लान तैयार करायेंगे, उसी के अनुसार विकास कार्य करेंगे।

32.14 ग्राम पंचायतों को नये निर्माण कार्य रु. 15 लाख एवं मरम्मत कार्यों की सीमा में रु. 1.5 लाख तक की वृद्धि करेंगे।

32.15 सार्वजनिक प्रयोजन विश्राम घाट, गौ-शाला, स्कूल-आंगनवाड़ी भवन, खेल मैदान आदि के लिए भूमि चिन्हित करेंगे।

32.16 पर्यावरण एवं स्वच्छता कार्यक्रम में ग्रामीणों की सहभागिता के साथ करेंगे तथा सामुदायिक वृक्षारोपण करायेंगे।

32.17 सभी ग्रामों में सीमेंट रोड़, नाली, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करायेंगे, सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ेंगे।

32.18 ग्राम स्तरीय सामुदायिक भवन की योजना लायेंगे।

32.19 बुजुर्गों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डे-केयर सेंटर खोलेंगे।

32.20 मनरेगा योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करेंगे।

32.21 ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु ''राज्य स्तरीय रोजगार गारंटी योजना'' बनायेंगे।

32.22 ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे तथा हेण्डपंप की मरम्मत, नल-जल योजना का संचालन ग्राम पंचायत से कराने हेतु उनको सक्षम बनायेंगे।

32.23 ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार व्यवस्थित करेंगे तथा स्थायी बाजार निर्मित करेंगे।

32.24 राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अधिक राशि उपलब्ध करायेंगे।

32.25 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राज्य वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान दिया जायेगा।

32.26 जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पदों पर 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

32.27 ग्राम पंचायत सचिव जो लम्बे समय से अपनी सेवा देते आये हैं और भाजपा शासन से उपेक्षित हैं उनको पंचायत विभाग के अंतर्गत संविलियन करने की नीति बनाये जायेगी। संविलियन उपरांत ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने की नीति बनायेंगे।

32.28 पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देंगे।

32.29 ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करेंगे उनकी सेवा शर्तें बनाएंगे। कम्प्यूटर कार्य हेतु निजी कम्पनियों को नहीं रखेंगे।

32.30 ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत जिन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया है, उनको पुन: सुनवाई का अवसर देकर रिक्त पद के विरूद्ध समायोजित करेंगे।

32.31 ग्राम न्यायालय पुन: नये रूप में प्रारंभ करेंगे ताकि शीघ्र न्याय मिल सके।

32.32 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सशक्त बनायेंगे।

32.33 त्रिस्तरीय पंचायत राज से जुड़े प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे।

32.34 स्वरोजगार मूलक योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

32.35 ग्राम आगन्तुक पंजी का संधारण करायेंगे । ग्राम निरीक्षण पंजी का संधारण करेंगे, जिसमें कलेक्टर से लेकर छोटे-बड़े जो अधिकार ग्रामों का भ्रमण करने जाये, उसमें उनकी टीप अंकित हो सके इससे प्रशासन की जवाबदेही ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ायेंगे।

32.36 ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल सर्वे फिर से करायेंगे ताकि बीपीएल सर्वे में छूटे पात्र लोगों का नाम फिर से जुड़ सके। आवास एवं शौचालय सुविधा प्राप्त हितग्राहियों के नाम नहीं कटेंगे।

33. खाद्य नागरिक आपूर्ति

33.1 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

33.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनायेंगे ताकि गरीबी को सस्ता अनाज समय पर प्राप्त हो। दुकानों पर सी सी टीवी कैमेरे लगवाएंगे।

33.3 खाद्य पदार्थों के लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया सरलीकृत करेंगे।

33.4 घर की रसोई करेंगे सस्ती, गृहिणियों को घर के बजट की चिंता से मिलेगी मुक्ति

- सभी अंत्योदय परिवार को प्रतिकार्ड प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूँ/चावल एक रूपये प्रति किलो, 3 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 लीटर खाद्य तेल, सस्ते दरों पर देंगे तथा 1 किलो नमक नि:शुल्क देंगे।
- बी.पी.एल. प्रत्येक कार्डधारी को 6 किलो अनाज प्रति यूनिट तथा प्रति कार्ड 3 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 लीटर खाद्य तेल सस्ते दरों पर देंगे तथा 1 किलो नमक नि:शुल्क देंगे। रसोई गैस पर 100 रु. की छूट देंगे।
- इसी प्रकार ए.पी.एल. प्रत्येक कार्डधारी को 6 किलो खाद्यान प्रति यूनिट तथा अन्य सामग्री जिनकी कीमत सरकार बाद में तय करेगी, उन्हे उचित मूल्य की दुकानों से प्रदाय किया जायेगा।

33.5 उचित मूल्य की दुकानों की रोस्टर प्रणाली के अनुसार साप्ताहिक जांच करायेंगे, जिसके प्रतिवेदन पर कलेक्टर टीएल बैठक में चर्चा करेंगे।

34. व्यापार

34.1 मण्डी शुल्क की दोहरी कर व्यवस्था समाप्त करेंगे। व्यापारियों को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त करेंगे।

34.2 प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने एवं व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए नया लघु व्यापार विभाग अथवा निगम का गठन करेंगे।

34.3 मण्डी शुल्क का युक्तियुक्तकरण करेंगे तथा वर्तमान दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करेंगे।

34.4 छोटे व्यापारी एवं छोटे मण्डी व्यापारियों के लिए बीमा किया जायेगा।

34.5 कांग्रेस पार्टी मंडियों एवं मंडियों के बाहर कृषि उपज के ऑनलाइन ट्रेडिंग के पक्ष में नहीं है।

34.6 जीएसटी के क्रियान्वयन को अधिक सुगम और व्यापार के अनुरूप बनायेंगे।

34.7 ई-अनुज्ञा बिल के कारण मण्डी व्यापारियों की कठिनाईयों को दूर करते हुये, अधिक व्यवहारिक बनायेगी।

34.8 सभी मण्डियों एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापारी संगठन के अधिकृत मान्यता देगी, जिससे शासन का व्यापारियों से बेहतर संवाद स्थापित हो सके।

34.9 छोटे व्यापारियों को सभी अनुमति स्वप्रमाणीकरण के आधार पर दी जायेगी।

34.10 इन्सपेक्टर राज समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

34.11 वास्तविक सिंगल विंडों सिस्टम की स्थापना कर उसमें उसकी जवाबदेही निर्धारित की जायेगी।

34.12 नगरों में व्यापार के प्रकार के अनुसार नये बाजार स्थापित किये जायेंगे।

34.13 स्वरोजगार के लिए हर शहर में नये हाट-बाजार सुविधायुक्त स्थापित किये जायेंगे जिसमे युवाओं को रोजगार के स्थान उपलब्ध हो सकेंगे।

34.14 प्रदेश के बाजारों में तुलावटियों और हम्मालों को नया सवेरा कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करायेगी।

34.15 भाजपा शासन वर्तमान मंडी व्यवस्था को समाप्त कर प्रायवेट मंडियों के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी वर्तमान व्यवस्था को कायम रखते हुये बेहतर बनायेगी।

34.16 छोटे व्यापारियों को रियायती ब्याज दर पर 3 वर्ष तक रु. 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध करायेंगे।

35. पंजीयन, वाणिज्यकर एवं वित्त -

35.1 पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस पर करों मे छूट देंगे।

35.2 वृत्तिकर समाप्त करेंगे।

35.3 पंजीयन हेतु स्टाम्प डयूटी की दरों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।

35.4 सम्पत्ति क्रय-विक्रय हेतु कलेक्टर गाइड लाइन्स एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष के लिए करेंगे।

35.5 भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश को कर्जदार बना दिया है, भाजपा सरकार ने जो अनुपयोगी कर्ज लिये हैं उसकी जांच कराएंगे।

35.6 जीएसटी के क्रियान्वयन को अधिक सुगम और व्यापार के अनुरूप बनाने हेतु केन्द्र को अनुशंसा करेंगे।

35.7 नगरीय निकायों के करारोपण की प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाएंगे।

35.8 चिटफण्ड कम्पनियों के संबंध में जन हितैसी नये नियम बनाकर तुरंत लागू किये जायेंगे, जनता के धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

36. श्रमिक अधिकार

36.1 नया सवेरा कार्यक्रम

"नया सवेरा " नया कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, इसके अंतर्गत सभी श्रमिक संवर्ग, असंगठित मजदूर, मछुआ श्रमिक, वनोपज संग्रहण करने वाले, खेतीहर मजदूर, बीड़ी मजदूर, सफाई कामगार, सायकिल, आटो रिक्शा चालक, सब्जी एवं अन्य फुटकर विक्रेता, गुमठीधारी, हाथठेला मजदूर, हम्माल, तुलावटी, कुली, वाहन चालक, परिचालक, कामकाजी महिला एवं 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करने वाले हितग्राही पात्र होंगे। जिनको निम्नानुसार सुविधायें देंगे:-

- आवास- 450 वर्गफीट का भूखण्ड नि:शुल्क एवं भवन निर्माण हेतु रु. 2.50 लाख,
- घरेलू उपयोग के लिए विद्युत 100 यूनिट तक 1 रू प्रति यूनिट की दर से,
- रसोईगैस पर 100 रु. की छूट देंगे।
- बच्चों को स्कूल से महाविद्यालय तक नि:शुल्क शिक्षा एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण
- चिकित्सा सहायता एवं बीमा रु. 5 लाख तक,
- कन्याओं के विवाहों के लिए रु. 51,000,
- प्रसूती सहायता 90 दिन की मजदूरी अथवा रु. 21,000 जो भी ज्यादा हो,
- अंत्येष्ठि सहायता 6 हजार रु.,
- पेंशन- 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 1000 रु. मासिक पेंशन,
- स्वंय का रोजगार स्थापित करने पर 3 वर्ष के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण बैंक से दिलवाएंगे
- बीपीएल कार्डधारियों की श्रेणी के मान से राशन एवं अन्य सामग्री देंगे।
- उक्त श्रेणी में आने वाले सभी परिवारों का समग्र आधारित पंजीयन नि:शुल्क करेंगे। सुविधाओं का लाभ तत्काल उपलब्ध कराएंगे।

36.2 अनावश्यक श्रम अधिनियमों को समाप्त करेंगे-

बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए गए ऐसे श्रमिक अधिनियम जो श्रमिकों के हित में नहीं है उनकी समीक्षा करेंगे तथा अनावश्यक श्रम अधिनियमों को समाप्त करेंगे।

36.3 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट अपने लक्ष्य में सफल नहीं रहा है। इसके स्थान इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की स्थापना। जिससे श्रमिक और उद्योगपतियों की बीच संबंध मधुर हो एवं उत्पादन प्रभावित नहीं हो।

36.4 किसी भी औद्योगिक इकाई को बंद करने से पूर्व दोनों पक्षों को सुना जाना अनिवार्य किया जायेगा।

36.5 मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शासकीय, अर्ध शासकीय एवं अशासकीय समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

36.6 श्रम सलाहकार परिषद् पुन: जीवित किया जायेगा।

36.7 **वेंकटगिरी वारागिरी श्रमिक संस्थान की स्थापना-**

संगठित / असंगठित श्रमिकों एवं उनके संगठनों को सक्षम बनाने एवं कानूनी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में महात्मा गांधी श्रमिक संस्थान की स्थापना करेंगे।

36.8 खेतीहर मजदूर- राज्य में कृषि श्रमिकों की संख्या को देखते हुए उनको उनके अधिकारों के

प्रति सक्षम बनाने एवं उनके कल्याण के लिए सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने हेतु नियम बनाएंगे। नया सवेरा कार्यक्रम से जोड़ेंगे।

36.9 औद्योगिक बेरोजगारी की रोकथाम- प्रदेश में बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण उद्योग बंद हुए हैं, जिससे औद्योगिक बेरोजगारी बढ़ी है, उसे रोकने के उपाय किए जाएंगे तथा उद्योगों को पुन: प्रारंभ कराकर बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाएंगे।

36.10 विश्वकर्मा संस्थान - असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा संस्थान स्थापित करेंगे तथा इस संस्थान के माध्यम से उनको स्व रोजगार स्थापित कराएंगे, जिसके लिए सरकार सहयोग प्रदान करेगी।

36.11 सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे।

36.12 रिक्शा चालक का कल्याण

► मध्यप्रदेश रिक्शा चालक कल्याण बोर्ड गठन करेंगे और उसको नया सवेरा कार्यक्रम से जोड़ेंगे।

रिक्शॉ चालकों पर हो रहे शोषण से रोकथाम - रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर भ्रष्ट गतिविधियों के कारण रिक्शा चालकों का जो शोषण होता है उसे रोकेंगे।

► साइकिल रिक्शा चालकों को ई.-रिक्शा हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।

36.13 फुटकर विक्रेता

► फुटकर विक्रेताओं यथा सब्जी बाजार, वस्त्र बाजार हस्तशिल्प आदि के लिए बाजार विकसित करेंगे

► फुटकर विक्रेताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए नियम बनाएंगे और उनको शक्ति से लागू करेंगे।

► इनके स्वरोजगार के लिए 50 हजार रु. तक रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे तथा सामाजिक सुरक्षा एवं नया सबेरा कार्यक्रम से जोड़ेंगे।

36.14 अन्य असंगठित श्रमिक/कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे।

► श्रमिकों एवं उस पर आश्रित परिवार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें देंगे तथा अंशदायी पेंशन एवं प्रोविडेंट फण्ड में नियोजक के अंशदान करने पर 50 प्रतिशत राशि अधिकतम 2000/- जमा करेंगे।

► बाल श्रमिकों की सतत पहचान कर उन्हें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रहवासी विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

► ठेका श्रमिकों को समान कार्य/समान वेतन का लाभ सुनिश्चित करने हेतु नियमों में प्रावधान करेंगे।

► मुख्य कार्य (Core activity) में लगे ठेका श्रमिकों को नियमित/स्थाई श्रमिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करायेंगे।

► श्रमिकों के कार्य की प्रकृति के आधार पर श्रेणी निर्धारित एवं वेतन निर्धारण प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया जायेगा।

► श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थायी निधि की व्यवस्था करेंगे।

36.15 **श्रम न्यायालय**

► श्रम न्यायालय/ औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत चल रहे प्रकरण का निराकरण तीन माह में करायेंगे इसके लिए श्रम लोक अदालत का आयोजन करेंगे।

- ► एसएमएस के माध्यम से श्रम /औद्योगिक न्यायालय में दर्ज प्रकरण, सुनवाई हेतु निर्धारित प्रकरण की जानकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध करायेंगे। श्रम/औद्योगिक न्यायालयों को ऑटोमेशन प्रक्रिया को सिविल न्यायालय की तरह में लायेंगे।
- ► फास्ट ट्रेक श्रम न्यायालय- श्रमिकों के प्रकरणों के निराकरण के लिए फास्ट ट्रेक लेबर कोर्ट की स्थापना करेंगे।

36.16 बीड़ी मजदूरों की समस्या का निराकरण करेंगे। नया सवेरा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित करेंगे।

36.17 श्रमिकों के लिए रहवासी क्षेत्र/ कॉलोनी विकसित करेंगे।

36.18 श्रमिकों के श्रमिक संवर्ग योजना में समग्र आई.डी. के माध्यम से पंजीयन की सरलीकृत व्यवस्था लागू करेंगे।

36.19 विकास खंड में पदस्थ समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को श्रम विभाग के कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु अधिकार प्रदान करेंगे।

36.20 बीमा चिकित्सालयों में चिकित्सा की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। बीमा अस्पतालों में उच्च स्तर की सुविधाएं तथा दवाईयां उपलब्ध कराई जायेंगी।

36.21 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास करेंगे तथा कानून का शक्ति से पालन करेंगे।

36.22 शहरी क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिक एवं श्रमिक महिलाओं के लिए रात्रि विश्राम के लिए रैनबसेरा निर्मित करेंगे।

37. वन एवं वानिकी

37.1 राजस्व वन ग्रामों का नियंत्रण एवं प्रबंधन राजस्व विभाग को तुरंत स्थानांतरित किया जाये।

37.2 पार्क एवं अभ्यारण्य की सीमा में आने वाले विस्थापित गांव को नये स्थान पर वन अधिकार के तहत मान्य अधिकार प्रदान किया जायेगा।

37.3 वनाधिकार कानून 2006 की धारा 2 (घ) के अनुरूप परिभाषित वन भूमि के अनुसार आदेश परिपत्र संबंधित जिला/ग्राम पंचायत को भेजा जायेगा।

37.4 बफर जोन को मूलभूत सामान्य विकास हेतु मुक्त रखा जायेगा।

37.5 वन संरक्षण और प्रबंधन हेतु ग्राम सभा को प्रशिक्षित किया जाये।

37.6 छोटे लकड़ी के कारीगरों के उद्योगों को ध्यान में रखते हुये 2 इंच व्यास की स्थायी कटर की अनुमति की प्रक्रिया सरल करेंगे।

37.7 तेंदूपत्ता प्रबंधकों को स्थायी करेंगे।

37.8 तेंदूपत्ता मजदूरी एवं बोनस का नगद भुगतान करेंगे तथा इनकी दरों में सुधार करेंगे।

38. संसदीय कार्य

38.1 प्रदेश में विधानपरिषद का गठन किया जायेगा। विधानपरिषद का गठन उपरांत ऐसे वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, उनको विधान परिषद में अवसर दिया जायेगा।

38.2 लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसदीय व्यवस्था का ज्ञान युवाओं को हो इस हेतु स्कूलों में युवा संसद का पाठ्यक्रम चलाया जायेगा तथ नियमित रूप से युवासंसद का आयोजन किया जायेगा।

38.3 संसदीय व्यवस्था पर शोध एवं अनुसंधान के लिए पुरस्कार प्रारम्भ करेंगे जो कि प्रतिवर्ष दो उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को रूपये दो लाख और एक लाख से सम्मानित किया जायेगा।

38.4 विधानसभा की प्रक्रिया का प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य किया जायेगा।

38.5 **'जनता प्रहर' की व्यवस्था-**विधानसभा के नियमों में संशोधन कर 'जनता प्रहर' (30 मिनिट) का प्रावधान करेंगे जिसमें जनता सीधे मंत्रियों से सवाल पूछ सकेगी।

38.6 प्रदेश के स्नातक और स्नात्कोत्त्र महाविद्यालयों से युवाओं को वर्ष में एक दिन म.प्र. विधानसभा में बुलाकर 'युवा संसद' की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

38.7 **विधायकों द्वारा सदन की कार्यवाही बाधित रहने की स्थिति में** उस दिन का भत्ता सदस्यों को नहीं दिया जावेगा।

38.8 विधायक/मंत्रियों की चल-अचल संपत्ति प्रतिवर्ष पटल पर रखेंगे।

38.9 विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करेंगे।

38.10 विधायक निधि के खर्चों की जानकारी वेबसाइट पर डालेंगे।

39. विधि एवं विधायी

39.1 वकीलों एवं पत्रकारों की सुरक्षा अधिनियम को त्वरित पारित करेगी।

39.2 वकीलों को आवासीय सुविधा हेतु उनकी सहकारी समितियों का गठन कर आवास निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे तथा दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा करायेंगे, प्रीमियम की राशि का 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी।

39.3 गुमशुदा एवं बच्चों की तस्करी के मामले की सुनवाई हेतु फास्टट्रेक कोर्ट स्थापित करेंगे एवं नियमित समीक्षा करेंगे।

39.4 महिलाओं एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना करेंगे।

39.5 न्यायालय में लंबित सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की जायेगी।

39.6 राजकीय अदालतों का आधुनिकीकरण **श्री सैम पित्रोदा** के सुझाव **'' कल की अदालत ''** के तहत करेंगे।

39.7 सभी न्यायिक संस्थाओं का उन्नयन निर्धारित मापदण्ड पर करेंगे तथा ई-लाईब्रेरी, महिला बार कांउसिल कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं ज्ञान केन्द्र स्थापित करेंगे।

39.8 यू.पी.ए. की सरकार के समय माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं विधि विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की गई गोपाल सुब्रमण्यम कोर्ट प्रबंधन रिपोर्ट को प्रदेश में लागू करेंगे।

39.9 पक्षकारों को उनके प्रकरण की जानकारी एवं सुनवाई की तिथि की जानकारी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

39.10 सभी न्यायालयों को ऑटोमेशन प्रक्रिया में लाते हुये वेबसाईट तैयार करेंगे।

39.11 सरकारी वकीलों एवं नोटरियों की नियुक्ति जिले के रोस्टर के अनुसार की जायेगी, जिसमें महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान रहेंगे।

39.12 प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस मनाया जायेगा।

39.13 उच्च न्यायालय द्वारा मान्यताप्राप्त बार को प्रतिवर्ष आकस्मिक निधि रूपये 2 लाख तक उपलब्ध कराएंगे। वकीलों के आकस्मिक घटनाओं एवं कार्यालय के संचालन के उपयोग में कर सकेंगे।

40. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

40.1 **''मां नर्मदा न्यास अधिनियम ''** बनाएंगे।

40.2 नया आध्यात्मिक विभाग का गठन करेंगे।

40.3 संस्कृत भाषा को बढ़ावा देंगे एवं संस्कृत के नये विद्यालय खोलेंगे।

40.4 सूर्य पुत्री मां ताप्ती नदी, मां मंदाकिनी नदी एवं मां क्षिप्रा नदी न्यास का गठन करेंगे।

40.5 शास्त्रों में उल्लेखित सभी पवित्र नदियों को जीवित इकाई बनाने के लिए कानून बनाएंगे।

40.6 पुजारी एवं अन्य धर्म के पूजा से जुड़े लोगों का मानदेय बढ़ायेंगे।

40.7 अन्य रूप से सशक्तजनों के लिए पर्यटन, धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए योजना बनायेंगे।

40.8 शासकीय मंदिरों एवं अन्य धर्मों के एतिहासिक स्थानों के संधारण हेतु विशेष पैकेज (बुनियादी सुविधायें यथा- पेयजल, स्ट्रीट लाइट, प्रसाधन, नाली, सड़क एवं कूड़ादान) देंगे।

40.9 चित्रकूट से शुरू होने वाली राम पथ गमन का प्रदेश सीमा तक निर्माण करेंगे।

40.10 प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों एवं आयोजनों पर भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जायेगी एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाये जायेंगे।

40.11 मठ मंदिरों की संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं पुजारी एवं महंत के नाम जोड़ने के संबंध में नए नियम बनाएँगे।

40.12 मठ मंदिर में संत का नामांतरण गुरु शिष्य परंपरानुसार हो तथा पुजारियों का वंश परंपरानुसार इस संबंध में नियम बनाएँगे।

41. भ्रष्टाचार मुक्त मध्यप्रदेश

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी हैं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घपला देखने को मिलता है, राजधानी से लेकर गांव तक बिना रिश्वत दिये काम नहीं होता है, आम नागरिक परेशान है।

41.1 कांग्रेस सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करेगी।

41.2 भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए नया कानून बनायेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना-देना गंभीर अपराध होगा, जिसे गैर जमानती बनाया जायेगा। 30 दिन में चालान प्रस्तुत करायेंगे, विशेष न्यायालयों का गठन करेंगे। भ्रष्टाचार के अंतर्गत अपात्रता के बावजूद पात्र बताकर लाभ पहुंचाना, अनावश्यक आधार बताकर प्रकरण का निराकरण नहीं करना, समय पर आदेश पारित न करना और जानकारी न देना आदि को सम्मिलित करेंगे।

41.3 भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्यपालिक स्तर के अधिकार एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक किसी भी स्थिति में नहीं रखेंगे। सचिवालय में महत्वपूर्ण पदों पर एक विभाग में 3 वर्ष से अधिक पदस्थ नहीं रहेंगे।

41.4 नवनियुक्त लोकसेवक एवं मनोनीत लोकप्रतिनिधि जैसे ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे उनको अपने और परिवार की चल-अचल संपत्ति तथा आय के स्त्रोत का शपथ-पत्र देना होगा और इसी को आधार मानकर भविष्य में उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति आय से अधिक पाये जाने पर राजसात की जायेगी।

41.5 जन आयोग-

जन आयोग का गठन सर्वदलीय करेंगे, इसमें विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, अनु. जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पत्रकार और महिलाओं को सम्मिलित करेंगे। जन आयोग वर्ष 2008 से 2018 तक के भाजपा कार्यकाल के व्यापम घोटाला, डम्पर घोटाला, गृह निर्माण समिति घोटाला, बिजली घोटाला, गेहूँ खरीदी घोटाला, गेहूँ परिवहन घोटाला, प्याज घोटाला, सहकारी बेंकों में बीमा घोटाला, नियुक्तियों में घोटाला, रेत घोटाला, सूचना प्रौद्योगिकी एवं लोक सेवा गारंटी में किये गये घोटाला, ई-टेंडरिंग घोटाला, शासकीय विज्ञापनों में घोटाला, नर्मदा किनारे किये गये वृक्षारोपण में घोटाला, पेंशन एवं छात्रवृत्ति घोटालों की जांच करायेंगे तथा दोषियों के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे।

42. आबकारी

42.1 **''मादक पदार्थ''** मुक्त प्रदेश बनायेंगे। इस व्यवसाय में लिप्त पाये गये लोगों को कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे।

42.2 मध्यप्रदेश में अफीम की खेती मंदसौर, नीमच जिले में होती है। अफीम के फल का खाली भाग जिसे **ड़ोंड़ा/चूरा** कहते हैं इसके दुरूपयोग को रोकने की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

42.3 पिछली काँग्रेस सरकार की आबकारी नीति जिसमें ये प्रावधान था कि जिस शराब कि दुकान को हटाने के लिए उस क्षेत्र कि 50 प्रतिशत से अधिक संख्या में महिलाएं दुकान हटाने कि माँग करेंगी उस दुकान को हटाया जाएगा, इस नियम को तत्काल लागू करेंगे ।

43. कला, साहित्य, रंगमंच

43.1 रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से प्रत्येक जिले में रचनात्मक केन्द्र (नाट्य गृह) तथा संभाग स्तर पर लोककला शाला स्थापित करेंगे।

43.2 **''विरासत का संरक्षण''** के तहत ललित कला, साहित्य, नाट्य, रंगमंच, चित्रकला, संगीत, गायन, वादन के क्षेत्र में प्रदेश के महान कलाकारों की प्रस्तुति, रचना, कौशलता को संरक्षण देते हुये धरोहर को अक्षुण्ण रखेंगे।

43.3 प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के महान कलाकारों, साहित्यकारों के नाम से पुरस्कार घोषित करेंगे। जिला/राज्य स्तर पर सम्मान समारोह प्रतिवर्ष आयोजित करेंगे।

43.4 संभाग स्तर पर **''लोक कला शाला''** की स्थापना करेंगे।

43.5 आदिवासी लोक जीवन से जुड़े गायन, वाद्ययंत्र, वेशभूषा, चित्रकला, काष्ठकला को संरक्षित करेंगे तथा कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे, इनसे जुड़ी संस्थाओं को अनुदान देंगे।

43.6 गौंडी चित्रकला केन्द्र स्थापित करेंगे तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेंगे।

43.7 साहित्य के क्षेत्र में **डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, बालकवि बैरागी, इकबाल, ''विट्ठल भाई पटेल''** आदि राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों के नाम से पुरस्कार घोषित करेंगे।

43.8 प्रदेश के सुप्रसिद्ध गायक **''किशोर कुमार''** की स्मृति में प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित करेंगे तथा नये गायकों को इनके नाम से पुरस्कार देंगे।

43.9 लुप्त हो रही विधाओं जैसे- हरबोलों की परम्परा, आल्हा आदि की प्रतिवर्ष प्रतियोगिता छत्रसाल महाराज की स्मृति में आयोजित करायेंगे।

43.10 उस्ताद अल्लाउद्दीन खां स्मृति साहब की स्मृति में स्थानीय संस्थान का उन्नयन करेंगे। नया संस्थान मैहर में स्थापित करेंगे।

43.11 प्रतिवर्ष तानसेन समारोह की तर्ज पर बैजू बावरा संगीत समारोह आयोजित करेंगे।

43.12 साहित्यकारों, कलाकारों को प्रतिमाह पेंशन देने की नयी योजना लाएँगे।

43.13 प्रतिवर्ष 14 नवम्बर से 19 नवम्बर के मध्य जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे **''प्रदेश रत्न'', ''प्रदेश भूषण''** पुरस्कार प्रारंभ करेंगे।

43.14 ग्रामीण क्षेत्र की पुरूष/महिला मंडलियों को संगीत सामग्री का किट देंगे तथा जन-जागरण शासकीय कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार सौंपते हुये मानदेय देंगे।

43.15 राज्य स्तरीय रंगमंच की संस्थाओं एवं भारत भवन आदि सांस्कृतिक केन्द्रों के प्रबंधन की उचित व्यवस्था करेंगे।

43.16 आदिवासी/दलित नव लेखकों को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक सम्मान करेंगे।

43.17 प्रदेश में निमाड़, मालवा, बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड, महाकौशल, और चंबल क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जायेगा। स्थानीय भाषाओं, बोलियों के गीतों, कविताओं, लिखित नाट्यों के संरक्षण के लिये ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया जायेगा।

43.18 प्रदेश के पर्यटन स्थलों को रोजगार मूलक विशेष कार्य योजना बनाकर विकसित किया जायेगा।

43.19 कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता एवं ख्याति प्राप्त कलाकारों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों की तरह शासकीय सेवाओं में अवसर प्रदान करने की नीति बनाएंगे।

44. पर्यटन

44.1 नई पर्यटन नीति तैयार करेंगे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार सीधे प्राप्त हो पर आधारित होगी।

44.2 पर्यटन के नाम से सुरक्षित भूमि का पर्यटन हेतु प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों एवं उनकी सहकारी समितियों को आवंटित करेंगे।

44.3 पर्यटन उद्योग के लिए प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रियायती ब्याज दर पर 5 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध करायेंगे।

44.4 लगातार नुकसान में चल रही होटलों को संचालन हेतु निजी क्षेत्र को देंगे।

44.5 राष्ट्रीय उद्यानों के लिए स्थानीय युवाओं को वनस्पति एवं वन्य जीवों से संबंधित नि:शुल्क प्रशिक्षण देंगे और उनको रोजगार से जोड़ेंगे।

44.6 ईको-पर्यटन में निजी निवेश को बढ़ावा देंगे।

44.7 प्रदेश में वायु सेवा का विस्तार करेंगे।

44.8 प्रदेश में स्थित प्राचीन महत्व के स्थल/किले/भवन आदि को पर्यटन से जोड़ने की नीति बनायेंगे।

44.9 विश्व प्रसिद्ध पर्यटन एवं तीर्थ स्थल खजुराहो, माहू, सांची, ग्वालियर का किला, अहिल्याबाई का किला, भोपाल स्थित ताज महल, बैनजीर पैलेस, उदयपुर की गुफा, भीमबैठिका के शैलचित्र, गोविन्दगढ़, राजगढ़, बांधवगढ का किला आदि क्षेत्रों को तीर्थाटन के अनुकूल बनायेंगे एवं प्रचार-प्रसार करेंगे।

44.10 धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत मां नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, औरछा का राम मंदिर, उज्जैन, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर स्थित धर्मराजेश्वर और हिंगलाजगढ़, ग्वालियर का गुरूद्वारा, भोपाल स्थित ऐतिहासिक मस्जिद, आदि स्थानों को पर्यटकों के अनुकूल बनायेंगे।

44.11 सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को वेशभूषा, कला, हस्तकला, चित्रकला, खाने-पीने की सामग्री, सांस्कृतिक प्रस्तुती जैसी गतिविधियों के संचालन हेतु प्रोत्साहन देंगे।

44.12 तीर्थ दर्शन योजना का नोडल विभाग पर्यटन विभाग को बनायेंगे तथा योजनान्तर्गत नये धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र को जोड़ेंगे। तीर्थदर्शन योजना में अनु. जाति वर्ग के महापुरूषों एवं आस्था स्थलों को जोड़ेंगे।

44.13 निशक्तजनों के पर्यटन हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार करेंगे।

45. जनसम्पर्क विभाग

45.1 प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार एवं कर्मी जो कि अखबार एवं पत्रिकाओं के क्षेत्र में पिछले 25 वर्ष से निरंतर कार्य कर रहे हैं, और 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है, उनको 10 हजार रु. प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि देंगे।

45.2 अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास आवंटन के कोटे का पुनर्निर्धारण करेंगे तथा शासकीय आवास आवंटन के किराये की दरें शासकीय कर्मियों के समकक्ष रखेंगे।

45.3 पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य एवं जिला समिति गठित करेंगे।

45.4 दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता 15 लाख की अनुग्रह राशि सरकार देगी। गंभीर घायल अवस्था में रूपये 2 लाख तक दिया जायेगा। दुर्घटना में मृत पत्रकार के आश्रित बच्चों को स्कूल से महाविद्यालय तक की शिक्षा का भार कांग्रेस सरकार वहन करेगी।

45.5 पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा करायेंगे। प्रीमियम राशि में 50 प्रतिशत राज्य सरकार मिलाएगी।

45.6 जिला स्तर पर प्रेस क्लब हेतु भूखण्ड एवं अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

45.7 सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु एक सु:स्पष्ट नीति बनायी जायेगी।

45.8 आवासहीन अधिमान्य पत्रकारों की गृह निर्माण समितियों को भूखण्ड उपलब्ध कराएंगे तथा प्रथम बार रु. 25 लाख तक का मकान खरीदने के लिए देय ब्याज में अनुदान देने की नीति बनायेंगे।

45.9 महिलाओं को पत्रकारिता क्षेत्र में सुरक्षात्मक व्यवस्था के तहत जोड़ेंगे एवं उनको विशेष प्रोत्साहन देंगे।

46. विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी

46.1 प्रदेश के विद्यार्थियों, शोधकर्ता एवं नागरिकों में वैज्ञानिक सोच एवं दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेंगे।

46.2 विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।

46.3 रसायन एवं भौतिक विषयों को बढ़ावा देंगे तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्थित प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करेंगे।

46.4 विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में शोधकर्ताओं एवं आविष्कार कर्ताओं को **डॉ. सी.वी.रमन** एवं **डॉ. विश्वेश्वर्या** के नाम से रुपये 10 लाख के नये पुरस्कार प्रारंभ करेंगे।

46.5 विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदेश के आवश्यकता के अनुकूल पुनर्गठित करेंगे।

46.6 सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में विशेष आई.टी. पार्क स्थापित किये जायेंगे तथा विशेष पैकेज देंगे।

46.7 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवाओं के विस्तार हेतु जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र विकसित कर 1 लाख बेरोजगारों को 5 वर्ष अवधि का रियायती ब्याज दर पर ऋण बैंकों से उपलब्ध करायेंगे।

46.8 बैंगलोर की सिलीकॉन सिटी की तर्ज पर भोपाल में नई सिलीकॉन सिटी विकसित करेंगे।

46.9 नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दूर-दराज एवं वनांचलों में टावर लगवाएंगे।

47. सामान्य प्रशासन- प्रशासनिक सुधार

कर्मचारियों के वेतन विसंगति, वेतनमान और पदनाम संबंधी

47.1 अग्रवाल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करेंगे।

47.2 शासकीय सेवकों को प्रोफेशनल टैक्स से छूट देंगे ।

47.3 सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जावेगा। कार्यभारित कर्मचारियों, सफाई कर्मी को नियमित करने एवं पदोन्नति के लिए नियम बनाएंगे। 7 वां वेतनमान देंगे।

47.4 स्टेनोग्राफर एवं निज सहायकों के महत्वपूर्ण तथा गोपनीय कार्य को देखते हुये, उनके वेतनमान में सुधार करेंगे। तथा अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचारकरेंगे।

47.5 शिक्षकों के वेतनविसंगतियां, समयमान वेतनमान से संबंधित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वेतन आयोग गठित करेंगे।

47.6 समान कार्य के लिए समान पदनाम एवं समान वेतन के साथ-साथ भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

47.7 सेवाकाल औसतन 32 वर्ष का होता है। पदोन्नति के अवसर कम होते हैं, इसलिए प्रत्येक 08 वर्ष में अधिकारियों/कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान की नीति बनायेंगे।

47.8 कार्यभारित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश समर्पण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

47.9 शासकीय औपचारिकेत्तर शिक्षा के अनुदेशक एवं पर्यवेक्षकों को न्यायालय के निर्णयानुसार संविदा शिक्षक वर्ग तीन के पद पर नियुक्ति दी जायेगी।

47.10 वनकर्मियों को पुलिस के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन फील्ड में पदस्थ वनपाल से रेंजर तक को देंगे।

47.11 महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को उनके कार्य के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए 2000/- रु. प्रतिमाह बोनस दिया जावेगा।

47.12 सभी विभागों के कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे

47.13 सिंचाई विभाग के अमीनों की ग्रेड-पे में सुधार किया जायेगा तथा इसके पुराने समय से चले आ रहे पदनाम को बदल कर सिंचाई/नहर विस्तार अधिकारी रखा जायेगा।

47.14 अध्यापक संवर्ग हेतु 1994 वाला डाइंग कैडर पुनर्जीवित कर पदनाम परिवर्तन के साथ शिक्षा विभाग की सभी सेवा शर्तें लागू की जावेंगी, सातवें वेतनमान का लाभ तथा सभी के लिए स्थानांतरण नीति, पति-पत्नि एक ही जिले के आस-पास के स्कूलों में पदस्थ करने, अनुकम्पा नियुक्ति और ई- अटेंडेंस प्रथा समाप्त करने की नीति बनाई जायेगी।

47.15 नगरीय निकायों में सफाईकर्मी को अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी एवं सफाई की ठेका प्रथा समाप्त करेंगे।

47.16 समस्त निगम मंडल/बोर्ड/सरकार संस्थाएं/आयोग एवं विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में कार्यरत संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुये इनके कर्मचारियों के वेतनमान नियमितीकरण, समयमान वेतन, पदोन्नति एवं पेंशन की एक समान नीति बनाई जायेगी।

47.17 राज्य शिक्षा केन्द्र व अन्य विभागों में लेखापाल तथा अन्य संवर्गों की नियुक्ति में घोटाले की जांच कराई जायेगी तथा चयनित पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी, जिनकी अधिकतम आयु सीमा निकल गई है, उसे छूट दी जायेगी।

47.18 सहायक शिक्षक/शिक्षक का पदनाम उनके वेतनमान के अनुसार किया जायेगा।

47.19 अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व पद यथा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता के पदों को पुन: जीवित कर उनका संविलियन किया जायेगा।

47.20 लिपिकीय वर्गीय कर्मचारियों को शिक्षकों के समान वेतनमान एवं पे ग्रेड देंगे।

47.21 स्टाफ नर्स ए.एन.एम , एम.पी.डब्ल्यू की वेतन विसंगती दूर करेंगे।

47.22 जनस्वास्थ्य रक्षकों की समस्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही करेंगे।

47.23 अतिथि शिक्षक एवं प्रेरक शिक्षकों की मांगों का तीन माह के भीतर निराकरण करेंगे।

47.24 शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शालाओं प्रधानाध्यापक के पदनाम में परिवर्तन करेंगे।

47.25 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रचलित नियमों को और सरल बनायेंगे एवं सात साल के बंधन को समाप्त करेंगे ।

47.26 कार्यभारित के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में तिथि 31.12.2016 के स्थान पर 01.01.2006 से करेंगे।

47.27 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण के निराकरण हेतु अभियान चलायेंगे।

47.28 कर्मचारियों के स्थानांतरण की पारदर्शी नीति बनायेंगे।

47.29 स्थानांतरण नीति में पति-पत्नी, केंसर से पीड़ित, एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित, निशक्तजन, को प्रावधानों में छूट देंगे।

47.30 महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की विसंगतियां दूर की जायेगी।

47.31 मध्यप्रदेश शासन की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन संबंधी विसंगतियों को एक माह के भीतर दूर करेंगे। सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर का भुगतान 4 किश्तों में करायेंगे।

47.32 कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनर्स का स्वास्थ्य बीमा कराएगें । बीमा के दायरे में जो नहीं आएंगे, उनको राज्य चिकित्सा सहायता का लाभ देंगे ।

47.33 मध्यप्रदेश के परिवार पेंशनधारी पेंशनरों की पेंशन रिवाईज 80 वर्ष की आयु में की जाती है, उसके स्थान पर 70 वर्ष की आयु पर 20 प्रतिशत पेंशन बढ़ोतरी करने का विचार किया जायेगा।

47.34 1 जनवरी 2005 से बंद की गई परिवार पेंशन योजना पुन: चालू करने पर विचार करेंगे।

47.35 केन्द्रीय पेंशनरों की भांति राज्य के पेंशनरों को भी राहत एवं 1000 रु. चिकित्सा सहायता देंगे।

47.36 सहकारी संस्थाओं के कर्मियों के लिए सहकारी पेंशन नियामक प्राधिकरण का गठन करेंगे।

47.37 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति शैक्षणिक सत्र समाप्त होने वाले माह की अंतिम तिथि की जायेगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो ।

47.38 वर्ष 2003 को आधार मानते हुये बैकलॉग के सभी पद भरेंगे, इस हेतु निर्धारित योग्यता और विचार क्षेत्र में छूट देंगे।

47.39 पुलिस एवं वन विभाग में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आदिवासी उम्मीदवारों की तरह छूट देंगे।

47.40 आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटराईज्ड के फलस्वरूप कोई भी कर्मी को सेवा से नहीं निकालेंगे।

47.41 सचिवालयीन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अवर सचिव स्तर पर सीधी भर्ती से भरने के नियम बनायेंगे।

47.42 सचिवालयीन व्यवस्था में अवर सचिव एवं लिपिकीय पद पर अन्य विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/संबद्धता समाप्त करेंगे।

47.43 कार्यालयीन व्यवस्था का आधुनिकीकरण के फलस्वरूप प्रशिक्षित कर्मियों की सेवायें लेने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं नये पद निर्मित करेंगे।

प्रशासनिक सुधार हेतु नये विभाग एवं कैडर का गठन

47.44 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करेंगे।

47.45 वेतन आयोग का गठन करेंगे।

47.46 जिला/तहसील/जनपद/ग्राम/नगरीय निकायों की सीमाओं का पुनर्गठन आयोग गठित करेंगे।

47.47 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थापना संबंधी विषयों के शीघ्र निराकरण हेतु प्रशासनिक आयोग का गठन करेंगे।

47.48 सहकारी विकास प्रशासनिक सेवा /ग्राम विकास प्रशासनिक सेवा का गठन करेंगे।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी साख समिति के कर्मियों द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुये **सहकारी विकास प्रशासनिक सेवा** का गठन किया जायेगा, इससे उनके हितों का संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

47.49 जनजाति कार्य विभाग का नाम बदलकर पूर्व नाम आदिम जाति विभाग करेंगे तथा इसका पुनर्गठन कृषि उत्पादन आयुक्त, विकास आयुक्त की तरह आयुक्त जनजाति विकास/ आयुक्त अनुसूचित जाति विकास कार्यालय की संरचना की जाएगी, जिसकी कमान मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी।

47.50 **राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेंगे। व्यापम बंद कर उसके स्थान पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेंगे तथा शासकीय सेवाओं में चयन की पारदर्शी एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू करेंगे** । साक्षात्कार प्रक्रिया संदेह के घेरे में न रहे, इस हेतु साक्षात्कार के अंक 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे तथा वर्ग वार साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करेंगे।

47.51 साक्षात्कार एवं पदोन्नति की समिति में अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य करेंगे ।

47.52 **शासकीय सेवाओं में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता**

शासकीय एवं प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारी/कर्मचारी के भर्ती नियम में संशोधन करेंगे, इसके अंतर्गत आवेदक की पात्रता में मध्यप्रदेश से 10 वीं-12 वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उनके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों को सम्मिलित करेंगे ताकि मध्यप्रदेश शासन एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।

47.53 **"जन जवाबदेह कानून"**

लोक सेवा प्रदाय गारंटी के स्थान पर सिटीजन चार्टर सेकेंड व्यवस्था को लागू करेंगे। सिटीजन चार्टर को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए **"जन जवाबदेह कानून"** लागू करेंगे, इसके अंतर्गत प्रकोष्ठ गठित करेंगे जो मुख्यमंत्री के अधीनस्थ रहेगा तथा मैदानी स्थल पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अधिकारियों के दायित्वों के निर्वहन पर निगरानी रखेगा।

जनता के कार्यों के लिए अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करेंगे।

47.54 **राजीव गांधी समग्र स्वत: निराकरण सेवा गारंटी अधिनियम बनायेंगे,इसके अंतर्गत** पात्रता आधारित, साधिकार व्यवस्था बिना आवेदन बिना शुल्क'' के आधार पर सहायता उपलब्ध कराएंगे।

47.55 **''राजीव गांधी स्मार्ट कार्ड''**

म.प्र. के 17 वर्ष की आयु से अधिक सभी नागरिकों - किसान, महिला, श्रमिक, शिल्पकर, व्यापारी एवं छात्र छात्राएँ को **''राजीव गांधी स्मार्ट कार्ड''** देंगे जो m.p.smartcitigenportal से जुड़ेगा। इस कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी के अलावा, कांग्रेस सरकार के वादे, संचालित कार्यक्रम, शासन की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की व्यवस्था, किसी कार्यालय से समस्या है तो उसकी शिकायत करने की व्यवस्था तथा शिकायत के निराकरण की सूचना आदि सुविधा उपलब्ध रहेगी।

47.56 जाति प्रमाण पत्र (आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक) समग्र व्यवस्था से जारी करेंगे, जिसमें समग्र आई.डी. और आधार नम्बर होगा, इससे इस वर्ग के लोग अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे।

47.57 चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन, निवास एवं जाति का सत्यापन ''आधार एवं समग्र'' में अंकित डाटा से त्वरित सत्यापन कराने की व्यवस्था लागू करेंगे।

47.58 संवैधानिक संस्था जैसे मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक सेवा आयोग आदि में आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जावेगे।

47.59 शासन के अंतर्गत आने वाले सभी प्राधिकरणों, समिति एवं संस्थाओं में संचालक के पद जिन पर सेवानिवृत्त अधिकारियों से भरे जाते हैं को रोस्टर पद्धति, चक्र कम के अनुसार भरेंगे।

47.60 अनुबंध, मानदेय, निश्चित वेतन तथा प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद रोस्टर के दायरे में रखे जावेंगे। एकल पद चक्र क्रम से भरे जाएंगे।

47.61 लोकायुक्त का गठन नये सिरे से कर उसे परिणाममूलक बनाएंगे।

47.62 शासकीय परिसरों में आरएसएस की शाखायें लगाने पर प्रतिबंध लगायेंगे तथा शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को शाखाओं में छूट संबंधी आदेश निरस्त करेंगे।

47.63 सभी विभागों में सभी स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री का प्रत्येक 4 माह में बैठक अनिवार्य की जायेगी, बैठक में उपस्थित सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण बैठक में ही करते हुये समिति को अवगत करायेंगे।

47.64 ई- अटेन्डेंस समाप्त किया जायेगा।

47.65 भाजपा के कार्यकाल में गठित जांच आयोगों के जाँच प्रतिवेदनों का परीक्षण करेंगे, आवश्यकता होने पर पुन: जाँच कराकर सदन के पटल पर रखेंगे।

47.66 लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच हेतु जाँच आयोग गठित करेंगे।

47.67 भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा तथा राज्य सरकार के क्लास वन के अधिकारियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे अपने चल-अचल सम्पत्ति की प्रतिवर्ष जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे तथा जनता की जानकारी के लिये वेबसाइड में अपलोड करें।

47.68 मान्यता प्राप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संगठन को आकस्मिक निधि के रूप में रूपये 2 लाख तक की वार्षिक सहायता देंगे। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आकस्मिक घटनाओं एवं कार्यालय के संचालन के उपयोग में कर सकेंगे।

48. राजस्व संबंधी

48.1 भू-सुधार आयोग गठित करेंगे। भूमि से संबंधित लंबित मामलों के निराकरण और पूर्व में आवंटित शासकीय भूमि की समीक्षा करेंगे, लीज की शर्तों के अधीन जो भूमि का उपयोग नहीं हुआ है, उसे वापिस लेकर अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध करायेंगे।

48.2 सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जवाबदारी कलेक्टर पर सौंपी जायेगी।

48.3 राजस्व ग्राम की सीमाओं में 5 पांच स्थायी चिन्ह बनाये जायेंगे, इनके संधारण की जवाबदारी राजस्व विभाग की रहेगी।

48.4 बंदोबस्त की अधूरी व्यवस्था को पूरा करायेंगे।

48.5 आरबीसी 6-4 में संशोधन करेंगे तथा वन्य जीव एवं आवारा पशुओं, आग से एवं आपदा से फसल हानि के मुआवजे की राशि बढ़ायेंगे तथा समय पर वितरण की जवाबदारी निर्धारित करेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय तहसीलदार की तय की जायेगी।

48.6 वन एवं राजस्व भूमि के विवाद निपटायेंगे।

48.7 2003 के पूर्व वितरित कृषि भूमि का पट्टे में उल्लेखित भूमि पर कब्जा दिलवायेंगे एवं अहस्तांतरण की शर्त को हटाकर मालिकाना हक देंगे।

48.8 पटवारियों की मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, टप्पा कार्यालय स्थापित करेंगे।

48.9 मजरों टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने की नीति बनायेंगे।

48.10 आवासीय कॉलोनी के लिए 5 एकड़ से कम करते हुये, एक एकड़ तक की भूमि पर अनुमति देंगे।

48.11 कोटवार को ग्राम विकास प्रशासनिक सेवा में रखते हुये, उसे चतुर्थ श्रेणी की तरह शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

48.12 सीलिंग से अतिशेष भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन में लायेंगे तथा गौ अभ्यारण्य तथा वृक्षारोपण के लिए उपयोग करेंगे।

48.13 लोक अदालत की तरह पृथक से राजस्व लोक अदालत लगायी जायेंगी।

48.14 कृषि भूमि के पंजीयन के साथ ही नामांतरण की स्वत: व्यवस्था लागू की जायेगी।

48.15 सार्वजनिक प्रयोजन- स्कूल, चिकित्सालय, सांस्कृतिक भवन, खेल मैदान आदि प्रयोजन के उपयोग में आने वाली भूमि के डायवर्सन प्रक्रिया को सरल करेंगे तथा डायवर्सन शुल्क में रियायत देंगे

49. गृह एवं पुलिस प्रशासन

भाजपा सरकार ने पुलिस का राजनीतिकरण कर रखा है, दिन प्रतिदिन अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराध के कई क्षेत्रों में पूरे देश में प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आ गया है। कन्याओं पर अपराध की घटनायें बढ़ी हैं। कांग्रेस सरकार बनने पर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुये दबाव मुक्त वातावरण निर्मित करेंगी तथा अपराधों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगी। कांग्रेस सरकार बनने पर-

महिलाओं की सुरक्षा

49.1 रानी दुर्गावती के नाम से महिला पुलिस बल बटालियन का गठन करेंगे- जिसमें सभी स्तर पर महिलाओं को ही पदस्थ किया जायेगा।

49.2 प्रत्येक जिले में महिला अपराध की विवेचना हेतु विशेष सेल का गठन करेंगे।

49.3 महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों की रोकथाम की ठोस कानूनी व्यवस्था लागू करेंगे।

49.4 थानों में महिलाओं के लिए पेयजल एवं प्रसाधन सुविधायुक्त नये कक्ष निर्मित कराएंगे।

49.5 नवनियुक्त महिला पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दर पर दो पहिया वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे।

49.6 कन्याओं के शैक्षणिक संस्थाओं, महिलाओं के कामकाजी क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां महिला पुलिस चौकी की स्थापना करेंगे तथा उन क्षेत्रों पर महिला गश्त की व्यवस्था करेंगे।

पुलिस सुधार एवं आधुनिकीकरण –

49.7 जुलियो रिबेरा, मालिमाथ, सोली सोराबजी कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर लागू करेंगे तथा पुलिस मॉडल एक्ट लागू करने को लागू करने पर भी विचार करेंगे।

49.8 क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम (CCTNS) स्थापित करेंगे।

49.9 अपराधों पर नियंत्रण के लिए अपराध की शीघ्र जानकारी प्राप्त हो जिसके लिए अपराधियों एवं अपराध के क्षेत्रों एवं स्थानों का डाटाबेस तैयार करेंगे इस डाटाबेस का उपयोग पुलिस विवेचना एवं जांच में उपयोग करने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

49.10 राष्ट्रीय एवं राजकीय मार्गों पर एवं शहरों में यातायात नियंत्रण एवं यात्री सुरक्षा का प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे ताकि दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचा जा सके।

49.11 पुलिस त्वरित हलचल में आये और त्वरित घटना स्थल पर पहुंचे इसके कॉल एवं कमांड सेन्टर को और अधिक सक्रिय किया जायेगा तथा 100 डायल की सीमाओं का विस्तार करेंगे।

49.12 पुलिस में अन्वेषण एवं कानून व्यवस्था पर निगरानी हेतु इससे जुड़ी शाखाओं का विस्तार करेंगे।

पुलिस प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

49.13 पुलिस प्रशासन में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करेंगे तथा जिला बल एवं थानों में पुलिस बल को बढ़ायेंगे।

49.14 आबादी के मान से पुलिस बल में वृद्धि करेंगे तथा राज्य पुलिस प्रशासनिक सेवा एवं उसके अधीन सभी संवर्गों के रिक्त पदों की पूर्ति एक साल के भीतर करेंगे।

49.15 पुलिस कमीश्नर प्रणाली नये सिरे से विचार करेंगे।

49.16 पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश देंगे।

49.17 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ने हेतु विशेष कदम उठायेंगे। समाज की भागीदारी से अपराधों पर नियंत्रण करेंगे।

49.18 पुलिस को जनता के प्रति अधिक संवेदन शील बनायेंगे।

49.19 विशेष पुलिस शाखा के उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक तथा पुलिस लाइन में सुबेदार और रक्षित निरीक्षकों की मांगों को ध्यान में रखते हुये उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर फील्ड़ में पदस्थ करेंगे ताकि फील्ड़ से अनुभव लेकर वे अपनी मूल शाखाओं में अच्छी सेवा देंगे।

49.20 पुलिस निरीक्षकों से उप पुलिस अधीक्षक तक के अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को अन्य विभागों में सीमित संख्या में प्रतिनियुक्ति पर भेजेंगे ताकि शासन के अन्य विभागों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुभव का लाभ पुलिस विभाग को मिलता रहे।

49.21 पुलिस आयुधों के आधुनिकीकरण उत्तम तकनीक के प्रयोग करने हेतु उपयोग करायेंगे तथा पुलिस बल को उसके अनुरूप प्रशिक्षण देंगे।

49.22 पुलिस को विधिक प्रक्रिया और जांच के आधुनिक तरीकों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि अपराधी कानून से बच न सके।

वेतन एवं अन्य सुविधायें

49.23 पुलिस विभाग में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के सभी लंबित प्रकरण 6 माह के भीतर निराकृत करेंगे। पुलिसकर्मियों की पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का नियमित आयोजन कराएंगे एवं पुलिस कर्मियों के लिए ट्रान्सफर बोर्ड का गठन करेंगे।

49.24 निरंतर उत्कृष्ट सेवा एवं राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिसकर्मियों/उपनिरीक्षकों की पदोन्नति में सेवा अवधि क्षेत्र में छूट देंगे।

49.25 आरक्षकों के वेतनमान में ग्रेड पे 1900 है जिसे 2100 करेंगे।

49.26 पुलिसकर्मियों को शासकीय कार्य पर जाने पर रेल्वे वारंट से तत्काल आरक्षण की सुविधा हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा करेंगे।

49.27 प्रत्येक जिले में SAF के कर्मियों के लिए पक्की बैरकों की सुविधा जिसमें पंखे, कूलर, आर.ओ., वाटर कूलर तथा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन उपलब्ध करायेंगे।

49.28 SAF के आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक जिनकी सेवा 5 वर्ष की हो गई, उनको जिला पुलिस में 25 प्रतिशत पद तक संविलियन किया जायेगा।

49.29 इसी तरह विशेष शाखा संवर्ग के लिपिकीय स्टाफ को 20 प्रतिशत एवं कार्यकारी (फील्ड इकाई) कर्मचारी/अधिकारी को 30 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा। यही नियम अन्य इकाईयों से विशेष शाखा में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारियों पर लागू होगा।

49.30 केन्द्रीय बल के समान अन्य सुविधायें देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

49.31 विशेष शाखा के जोखिम भरा कार्य करते हुये आरक्षक से निरीक्षक तक को 20 से 40 प्रतिशत तक विशेष भत्ता देंगे तथा जिला पुलिस बल के साथ ही इस शाखा के उप निरीक्षकों एवं आरक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।

49.32 प्रदेश में सशस्त्र सुरक्षा बलों के परिवार में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित करेंगे।

49.33 पुलिस लाईन में आंगनवाड़ी एवं शिशु गृह खोलेंगे।

49.34 प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाये रखते समय, आपदा के समय एवं अपराधियों को पकड़ते समय यदि किसी पुलिस कर्मी की मृत्यु होती है तो उसे ''प्रादेशिक स्तर का शहीद'' का दर्जा देते हुये उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योग्यता के अनुरूप नौकरी देंगे तथा उसके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का भार सरकार उठायेगी।

49.35 फील्ड़ में पदस्थ पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नये आवासों निर्माण करेंगे, इसके लिए पृथक से विशेष बजट देंगे।

49.36 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति पुलिस विभाग में न मिलने पर अन्य विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति देने पर विचार करेंगे।

49.37 आपराधिक श्रेणी के लोगों को समग्र एवं आधार से जोड़ा जायेगा तथा आदतन अपराधी और असामाजिक तत्वों को शासन की योजनाओं से वंचित किया रखा जायेगा।

49.38 ऐसे क्षेत्र जहां आपदा संभावित है, उन क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों के साथ नागरिक सुरक्षा दल गठित किये जायेंगे। पर्यटन के ऐसे क्षेत्र जहां पर आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, वहां पर भी नागरिक सुरक्षा दल को आपदा एवं बचाव से संबंधित प्रशिक्षण देते हुये बचाव किट एवं मानदेय उपलब्ध करायेंगे।

49.39 केन्द्रीय सशस्त्र बल एवं आर्मी के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं अधिकारियों की सेवायें आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन तथा आंतरिक सुरक्षा ली जायेंगी तथा उनको मानदेय दिया जायेगा।

49.40 **शस्त्र लायसेंस**

आत्मरक्षा के लिए शस्त्र के लायेसेंस दिये जाने की व्यवस्था है तथा इसकी अवधि 3 वर्ष है। इनकी बड़ी जटिल प्रक्रिया और महंगी प्रक्रिया भाजपा सरकार ने बना रखी है इसको कांग्रेस सरकार सरल करेगी।

शस्त्रों के नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष के लिए निम्नानुसार करेंगे।

- देशी भरमार रायफल- 250 रूपये
- बारह (12) बोर रायफल- 750 रूपये
- रायफल- 1000 रूपये
- रिवॉल्वर/ पिस्टल- 1250 रूपये
- अर्द्ध स्वचलित रायफल- 1500 रूपये

49.41 जबरदस्ती किये गये धर्मांतरण के हम सख्त खिलाफ हैं मगर धर्मांतरण को रोकने की आड़ में की जा रही हिंसा के खिलाफ नीतिगत उपाय करेंगे। तथा निर्दोष को न सतया जाय, यह हम सुनिश्चित करेंगे, इस कानून की हम पुन: समीक्षा भी करेंगे।

49.42 मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा पथराव कर मार डालने के खिलाफ के खिलाफ कानून बनाएंगे और शक्ति से लागू करेंगे।

49.43 पिछले 15 वर्षों में दस्यू प्रभावित क्षेत्रों के सभी मुठभेड़ (एनकाउंटर) की जांच करायेंगे तथा गलत अनुशंसा से जिनको पदक/पुरस्कार प्रदान किये हैं, उनसे वापिस लेंगे।

49.44 सांप्रदायिक को बढ़ावा न मिले, इस हेतु आतंकवाद विरोधी कानून की तर्ज पर सांप्रदायिक/ जातिगत फसादात के खिलाफ कानूनी प्रावधान करेंगे।

50. जेल प्रशासन

50.1 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे।

50.2 जेलों को भ्रष्टाचार से मुक्त बनायेंगे।